



बिहार विधान सभा

Second Session

Starred Question

26 February 2026

[Agriculture - Revenue & Land Reforms - Dairy, Fisheries and Animal Resources Department - Public Health & Engineering - Food & Consumer Protection - Urban Development & Housing - C andoperative].

कुल तारांकित प्रश्न - 196

शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना

*2484 Shri. RAJEEV RANJAN SINGH Alias Sonu Singh (212) (Dehri):

Public Health & Engineering क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत अकोढी गोला, डेहरी प्रखंड एवं डेहरी नगर परिषद स्थित स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्र के चापाकल खराब पड़े हैं, जिस कारण लोगों को काफी कठिनाई होती है | यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त क्षेत्र में पुराने चापाकलों को चालू कर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

जल निकासी का स्थायी व्यवस्था

*2485 श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (75) (सहरसा):

नगर विकास एवं आवास विभाग क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड न०-17,20,21, 34,37, 39,40 एवं 41 में सालों भर घरेलू अपशिष्ट जल सड़क पर ही जमा

रहता है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त वार्डों में जल निकासी का स्थायी व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

मरीन ड्राइव का निर्माण

***2486 श्री राम सिंह (04) (बगहा):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि प. चम्पारण जिला अंतर्गत बगहा नगर परिषद् में NH-727 के कालीघाट से कैलाशनगर-शाशत्रीनगर — पारसनगर- गोरियापत्ति- बच्चाबाबु घाट — दिनदयाल नगर — चंडी स्थान- पुअर हाउस होते हुए NH-727 चखनी — रजवटीया अप्रोच पथ तक गंडक नदी सटे नगर परिषद् के लगभग 15 वार्ड अवस्थित हैं;
2. क्या यह बात सही है कि बरसात के दिनों में इन सभी वार्डों में गंडक नदी का जल जमाव महीनो तक रहता है, जिससे आमजनता को कठिनाई होती है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार इन सभी वार्डों के सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उपरोक्त स्थान पर “मैरिन ड्राइव” का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

भवन का नव निर्माण कराना

***2487 श्री रत्नेश कुमार (184) (पटना साहिब):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा गांधी मैदान पीएमसीएच-युनिवर्सिटी रूट के लाईन-2 में अशोक राजपथ, पीएमसीएच यंग मेंस इंस्टिट्यूट के नीचे से सुरंग बनाने हेतु बड़े-बड़े मशीन द्वारा मिट्टी काटने से उत्पन्न हुयी कंपन के कारण बिहार यंग मेन्स इंस्टिट्यूट का भवन एवं आर्क में बड़ा दरार (क्रैक) आ जाने के कारण मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के अभियंताओं द्वारा उक्त भवन में 03 जगह क्लिप मारा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उक्त भवन के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी निगम को है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त भवन के नव निर्माण कराने हेतु पटना मेट्रो रेल निगम को निर्देशित करने का विचार रखती है नहीं तो क्यों ?

षष्टम् वित्त आयोग मद से राशि की निकासी के संबंध में ।

***2488 श्री अभिषेक रंजन (07) (चनपटिया):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत चनपटिया नगर पंचायत द्वारा चलंत शौचालयों की मरम्मत के नाम पर षष्टम् वित्त आयोग मद से पाँच लाख चौहत्तर हजार एक सौ अड़तीस रुपये का भुगतान किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि चनपटिया नगर पंचायत द्वारा पिछले दो वर्षों में सफाई, शौचालय, कचरा प्रबंधन एवं अन्य विभिन्न संसाधनों की खरीद पर अत्यधिक राशि की निकासी की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मरम्मत कार्य, भुगतान की वैधता एवं पिछले दो वर्षों में की गई समस्त खरीदारी की उच्चस्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है; नहीं, तो क्यों?

नल- जल की समस्या का निवारण ।

***2489 श्री संजय कुमार सिंह (76) (सिमरी बख्तियारपुर):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलांतर्गत सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत, सिमरी बख्तियारपुर प्रखण्ड के कठडूमर पंचायत में नल-जल की गंभीर समस्या है, जिससे आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त पंचायत में नल- जल की समस्या का निवारण कराने के विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

रोजगार सृजन करना

***2490 श्री प्रमोद कुमार (19) (मोतिहारी):**

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत मोतिहारी में बिहार राज्य कृषि बाजार समिति द्वारा नवनिर्मित दुकान एवं कैंटीन का आवंटन नहीं किया गया है, जिसके कारण वहाँ नव रोजगार सृजन अवरुद्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक मोतिहारी सहित राज्यभर में नवनिर्मित दुकान एवं कैंटीन का निविदा कराकर रोजगार सृजन कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

जलमीनार निर्माण कराना

***2491 श्री सतीश कुमार सिंह यादव (203) (रामगढ़):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1-क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला अन्तर्गत प्रखंड रामगढ़ के ग्राम सदुल्लहपुर में अवस्थित पानी टंकी (जलमीनार) जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है एवं उससे पानी की सप्लाई बन्द है;

2-क्या यह बात सही है कि उक्त जलमीनार के गिरने से जान माल का खतरा हो सकता है;

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक उक्त जलमीनार को विनष्ट कर वहाँ नयी पानी टंकी (जलमीनार) का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

सड़क निर्माण कराना

***2492 श्री अखतरूल ईमान (56) (अमौर):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत अमौर नगर पंचायत के वार्ड नं०-06, के अशरफ नगर में सड़क का निर्माण नहीं होने से उक्त मोहल्ला के 500 आबादी को आवागमन में कठिनाई होती है;

2. क्या यह बात सही है कि उक्त मोहल्ला के सड़क निर्माण अबतक इसलिए नहीं हो सका है क्योंकि सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण करना होगा;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मोहल्ले में भूमि अधिग्रहण कर सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पर्चा दिलाना

***2493 श्रीमती सोनम रानी (44) (त्रिवेणीगंज (अ० जा०)):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज विधान सभा के प्रखंड त्रिवेणीगंज अन्तर्गत भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण सरकारी लाभ से वंचित है जबकि सरकार द्वारा भूमिहीन परिवारों को 03 डिसमिल जमीन देने का प्रवाधान है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड के भूमिहीन परिवारों को सर्वे कराकर जमीन उपलब्ध कराने तथा उन्हें बासगीत पर्चा दिलाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कारवाई करना

***2494 श्री सुरेंद्र प्रसाद (01) (वाल्मीकि नगर):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला के प्रखंड पिपरासी के डुमरी मुटाडीह पंचायत में घोरहवा गाँव के वार्ड नं०-02 में हर घर नल का जल योजना अन्तर्गत कार्य कराया गया है, परंतु उक्त वार्ड के 50-60 परिवारों के घरों में पाइप और नल रहने के बावजूद पानी सप्लाई बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक, उक्त पंचायत के वार्ड -02 में वंचित परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कर्मियों का मानदेय भुगतान करना

***2495 श्री संजय कुमार (183) (कुम्हारार):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम में कार्यरत कर संग्राहकों का दिनांक 16.12.2009 से 24.05.2018 तक (कुल 101 माह) के मानदेय / पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनको आर्थिक क्षति पहुँचती है, तो सरकार कब तक उक्त कर्मियों का मानदेय भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

सड़क-सह-नाला का निर्माण

***2496 श्री कौशल किशोर (173) (राजगीर (अ० जा०)):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड एवं पटना महानगर

आयोजना समिति की अनुशंसा तथा सहमति के आलोक में ,पटना शहर को सुनियोजित एवं समेकित विकास हेतु मास्टर प्लान 2031 को बिहार गजट में दिनांक-30.10.2017 को अधिसूचित किया गया है ;

2.क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारी प्रखंड के आदमपुर एवं मुस्तफापुर के दोनों सीमाना के बीच थाना संख्या-36 एवं 39 के प्लॉट सं0-276 एवं 327 के बीच से पूरब की ओर जानेवाली सड़क को स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने के कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, सरकार उक्त सड़क-सह-नाला का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

भू-स्वामी का नाम दर्ज करना

***2497 श्री राहुल कुमार सिंह (201) (डुमराँव):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के डुमराँव पालिका के करीब 60 प्रतिशत जमीन सर्वे 1989 के खातियान के भू स्वामी के कॉलम में अनाबाद बिहार सरकार एवं अधिकारक के कॉलम मूल रैयत के वंशज का नाम दर्ज है, जबकि पुराने नगर पालिका सर्वे 1911-12 के खातियान में मूल रैयत का नाम दर्ज है, जिससे आम जनता को कठिनाई हो रही है;

2. क्या यह बात सही है कि उक्त आधार पर वर्ष 2018 तक दाखिल-खारिज किया गया है, ऑनलाईन प्रक्रिया होने के बाद दाखिल खारिज, रसीद और एल० पी०सी० नहीं बन रहा है;

यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक इस त्रुटि को सुधारते हुए अनाबाद बिहार सरकार को हटा कर भू-स्वामी का नाम दर्ज करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

पशु अस्पताल का भवन निर्माण

***2498 श्री निरंजन कुमार मेहता (71) (बिहारीगंज):**

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग :-

क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत बिहारीगंज विधान सभा के गवालपाड़ा प्रखंड के पीरनगर पंचायत में पशु अस्पताल संचालित है परन्तु उक्त पशु अस्पताल का अपना भवन नहीं होने के कारण पशुपालकों को कठिनाई होती है, जबकि उक्त पंचायत में

बिहार सरकार का खाता नं0- 183 , खेसरा नं0-2012, रकबा-1 एकड़ 2 डि0 जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त जमीन पर पशु अस्पताल का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

कार्रवाई करना

***2499 आसिफ अहमद (35) (बिस्फी):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1-क्या यह बात सही है कि डिजिटल जमाबंदी में सुधार हेतु परिमार्जनप्लस आवेदनों को लंबित रखने तथा विभागीय निर्देशों के उल्लंघन संबंधी अंचल अधिकारी, राघोपुर, वैशाली से विभागीय पत्रांक 240(9ए)/वर्ष 2025-26 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी है;

2-क्या यह बात सही है कि स्पष्टीकरण उपरांत विलम्ब संबंधी साक्ष्य छिपाने हेतु 28 मई, 2025 को समर्पित परिमार्जन आवेदनों यथा 251862132454296-08 के ऐक्शन डेट चेंज कर, माह की जगह 'नहीं' शब्द अंकित कर, साक्ष्य रहते हुए भी 'साक्ष्य उपलब्ध नहीं' अंकित कर आवेदनों को रद्द कर दिया गया है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार साक्ष्य छिपाने हेतु अंचल कम्प्यूटर में छेड़छाड़ करने वाले पदाधिकारी / कर्मचारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

ड्रेनेज सिस्टम निर्माण कराना

***2500 श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह (223) (औरंगाबाद):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला मुख्यालय नगर परिषद क्षेत्र में जल निकासी हेतु मुख्य नाला सहित समुचित ड्रेनेज प्रणाली का निर्माण नहीं होने के कारण शहर में सड़को पर जल-जमाव की गंभीर समस्या बनी रहती है, जिससे आमजन को आवागमन में कठिनाई होती है,

यदि हाँ, तो सरकार कब तक औरंगाबाद शहर को जल-जमाव की समस्या से स्थायी रूप से निजात दिलाने हेतु मुख्य नाला सहित ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण मुक्त कराना

***2501 श्रीमती गायत्री देवी (25) (परिहार):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत परिहार प्रखण्ड के ग्राम पंचायत बाया की भूमि जिसका खाता संख्या-768 खेसरा-1179,1180 रकबा-40 डिसमिल एवं 3 डिसमिल है, तथा बाया बाजार के सटे पूरब दिशा में तालाब के मुहाने को स्थानीय लोगों द्वारा विगत दस वर्षों से अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक वर्णित स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

पटना महानगर क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी की प्रतिनियुक्ति ।

***2502 श्री केदार नाथ सिंह (115) (बनियापुर):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

क्या यह बात सही है कि बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006 की धारा-3 (ठ) परंतु के तहत राज्य सरकार को सक्षम प्राधिकारी के रूप में एक से अधिक पदाधिकारी अथवा प्राधिकारी को अधिसूचित करने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा पटना महानगर क्षेत्र के लिए अब तक सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित नहीं किए जाने का क्या औचित्य है,

राजस्व कचहरी का जीर्णोद्धार कराने के संबंध में ।

***2503 श्री राजेश कुमार उर्फ बल्लू गुप्ता (11) (सुगौली):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत अंचल कार्यालय सुगौली के निकट अवस्थित राजस्व कचहरी जीर्णशीर्ण अवस्था में है, जिस कारण राजस्व कर्मचारियों को राजस्व से संबंधित कार्यों के निष्पादन करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त वर्णित राजस्व कचहरी का जीर्णोद्धार कार्य कराने का विचार रखती है , नहीं तो क्यों ?

राजकीय दर्जा

***2504 श्री सियाराम सिंह (179) (बाढ़):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बाढ़ अनुमण्डल स्थित उमानाथ मंदिर जो गंगा नदी तट पर स्थित एक प्रमुख शिव मंदिर है जहाँ भगवान शिव की पूजा की जाती है, यह मंदिर अपनी विशिष्ट वास्तु कला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है;
2. क्या यह बात सही है कि उक्त अनुमण्डल स्थित उमानाथ मंदिर परिसर में माघ महीने के पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं;
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अनुमण्डल स्थित उमानाथ मंदिर परिसर में माघ महीने में लगने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई करना

***2505 श्री राहुल कुमार (216) (जहानाबाद):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि राज्य के नगर निकायों द्वारा GeM पोर्टल पर फ्लैट होस्टिंग, बस शेल्टर, सिगनेज बोर्ड, नॉन इल्यूमिनेटिंग स्टील वायर आदि कार्यों के लिए निकाली गई निविदाओं को कर्टेनिंग कर केवल चार कंपनियों के बीच ही विगत दो वर्षों से बांट दिया जा रहा है जिससे प्रतिस्पर्धा की भावना आहत हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक इन अनियमितताओं की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

किसानों को हुई फसल क्षति की प्रतिपूर्ति

***2506 श्री शुभानंद मुकेश (155) (कहलगांव):**

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत गोराडीह प्रखंड में दिनांक 27 दिसम्बर 2025 को बांका जिला के हनुमाना डैम का पानी बबुरा नहर के रास्ते अनियंत्रित होकर मुरहन, बड़ी जमीन, अगड्डा, कासिमपुर, काशिल, रायपुर, रत्तीचक, सालपुर, जदियामा आदि गाँवों के हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि में फैल गया;

2. क्या यह बात सही है कि इस जलजमाव के कारण उक्त गाँवों में किसानों के खेतों में लगी गेहूँ, मसूर, चना और सरसों की रबी फसलें पूरी तरह डूबकर नष्ट हो गई हैं, जिससे

क्षेत्र के हजारों किसानों को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है;

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रभावित गाँवों का सर्वेक्षण (Crop Cutting/Loss Assessment) करवाकर पीड़ित किसानों को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति (कृषि इनपुट सब्सिडी) प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*2507 श्री जनक सिंह (116) (तरैया):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

1. क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत इसुआपुर अंचल के SH-90 के पूरब दरवां एवं रामपुर अटौली पंचायत के महुली पोखरा के भिन्डा पर स्थानीय लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है;
2. क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों पोखरा बिहार सरकार का है;
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक उक्त दोनों पोखरों की जमीन को जाँच कराकर अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

जल-निकासी संरचनाओं के निर्माण

*2508 श्री राकेश रंजन (198) (शाहपुर):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

- 1). क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बिहिया प्रखंड के बिहिया नगर पंचायत तथा शाहपुर प्रखंड के शाहपुर नगर पंचायत में स्थायी जल-निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण वहाँ हमेशा जलजमाव, आवागमन में बाधा एवं जन-स्वास्थ्य समस्या बनी रहती है; यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त दोनों नगर पंचायतों में समग्र जल-निकासी योजना (Master Drainage Plan) के तहत पक्की नालियों, आउटफॉल ड्रेन एवं जल-निकासी संरचनाओं के निर्माण का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

नगर परिषद का दर्जा देना

*2509 श्री हेम नारायण साह (112) (महाराजगंज, सिवान):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अंतर्गत नगर पंचायत महाराजगंज की जनसंख्या 50 हजार से अधिक है, जो नगर परिषद होने की सभी अर्हता को पूरा करता है, यदि हां, तो सरकार नगर पंचायत महाराजगंज को कब तक नगर परिषद का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कृषि महाविद्यालय स्थापना कराना

***2510 Shri. SUJEET KUMAR (37) (Rajnagar (SC)):**

Agriculture क्या मंत्री कृषि विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि; क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर प्रखंड में राज मैदान में कृषि महाविद्यालय के निर्माण हेतु वर्ष 1997 में शिलान्यास किया गया था जो अब तक अपूर्ण है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त स्थल पर कृषि महाविद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों

पोखरों का जीर्णोधार करना ।

***2511 श्री अजीत कुमार (95) (काँटी):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलामुख्यालय में आरडीएस कॉलेज के नजदीक स्थित पोखर तथा विश्वविद्यालय कैंपस में स्थित पोखर विगत पाँच वर्षों से जीर्ण -शीर्ण अवस्था में रहने के कारण पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त पोखरों का सौन्दर्यीकरण के साथ जीर्णोधार कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

बंद पड़े नलों को चालू कराने के संबंध में ।

***2512 श्री अरूण सिंह (213) (काराकाट):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट प्रखण्ड के देव पंचायत में देवमार्कण्डेय ग्राम के वार्ड नं0-02 में हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा था, जो अभी बंद पड़ा है, जिससे उक्त वार्ड के ग्रामीण हर घर नल से जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल से वंचित है;

यदि हाँ तो सरकार कब तक जाँचोपरांत वार्ड नं0-02 के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल हेतु बंद पड़े नलों को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

वासगीत पर्चा धारियों को जमीन दखल कराना ।

***2513 श्री रामविलास कामत (42) (पिपरा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा प्रखंड के ग्राम पं0 रामपुर में महादलित परिवारों को वासगीत पर्चा निर्गत है , परंतु अभी तक उनको भूमि पर दखल नहीं करवाया गया है,

यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त वासगीत पर्चा धारियों को जमीन दखल कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

चहारदीवारी एवं सौंदर्यीकरण करने के संबंध में।

***2514 श्री कृष्णनंदन पासवान (13) (हरसिद्धि):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

क्या यह बात सही है पूर्वी चंपारण जिला के नगर निगम मोतिहारी स्थित हरदिया नागा बाबा मठ का चहारदीवारी एवं सौंदर्यीकरण नहीं कराया गया है जबकि उक्त मठ स्थानीय जनता का आस्था का केन्द्र है, यदि हाँ तो सरकार कबतक नागा बाबा मठ के चहारदीवारी निर्माण के साथ सौंदर्यीकरण करने का विचार रखती है ,नहीं तो क्यों?

समस्या का निदान

***2515 श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी (64) (कदवा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में भूमि की रजिस्ट्री के मामलों में प्रायः यह देखा जा रहा है कि किसी भूमि पर पहले किसी एक व्यक्ति से बिक्री का अनुबंध किया जाता है, परंतु उसी भूमि की रजिस्ट्री बाद में उसी अनुबंध की अवधि के भीतर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर दी जाती है, जिससे व्यापक स्तर पर भूमि विवाद उत्पन्न हो रहे हैं;

2. क्या यह बात सही है कि वर्तमान में निबंधन कार्यालयों में भूमि से संबंधित पूर्ववर्ती बिक्री का अनुबंध का डिजिटल या खेसरा-वार अनिवार्य प्रविष्टि उपलब्ध नहीं रहने के कारण निबंधक को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक उक्त समस्या का निदान करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कारवाई करना

***2516 श्री उपेन्द्र प्रसाद (225) (गुरुआ):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1- क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, नालन्दा-सह-द्वितीय अपील पदाधिकारी के दिनांक-24-10-2024 पारित आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी, हिलसा के अतिक्रमण वाद सं0-05/2024-25 में अतिक्रमण सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है ; यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए विलम्ब के लिए दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

नगर पंचायत बनाना

***2517 डॉ. प्रकाश चंद्र (220) (ओबरा):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के ग्राम पंचायत ओबरा नगर पंचायत बनाने की सभी अर्हता को पूरा करता है, जिसके नगर पंचायत अबतक नहीं बनने के कारण विकास अवरुद्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ओबरा ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

मछली बीज उत्पादन नर्सरी पुनः चालू करना

***2518 श्रीमती कविता देवी (69) (कोढ़ा (अ० जा०)):**

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग :-

क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि कोढ़ा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कोढ़ा प्रखंड के नगर पंचायत के वार्ड संख्या-11 में अवस्थित मछली बीज उत्पादन नर्सरी विगत लगभग दस वर्षों से बन्द

- पड़ी है। जबकि उक्त स्थल पर 6.5 एकड़ सरकारी भूमि, बोरिंग रूम एवं मोटर सहित अन्य आधारभूत संरचनाएँ उपलब्ध है;
2. क्या यह बात सही है कि नर्सरी के बन्द रहने से सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है तथा स्थानीय मत्स्यपालकों को भी असुविधा हो रही है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उतर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक उक्त मामलों की जाँच कराकर मछली बीज उत्पादन नर्सरी को पुनः चालू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

बस स्टैंड का निर्माण

***2519 श्री आलोक कुमार सिंह (210) (दिनारा):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा नगर पंचायत में बस स्टैंड नहीं होने के कारण 21 पंचायतों के लोगों को आने जाने में कठनाइयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही, सड़क के किनारे बस लगाकर यात्रियों को बैठाते हैं जिससे आए दिन वहाँ जाम की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक दिनारा नगर पंचायत में बस स्टैंड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

अतिक्रमण मुक्त कराना

***2520 श्री सुरेन्द्र राम (119) (गरखा (अ० जा०)):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में रामजयपाल रोड अर्पणा बैंक कॉलोनी फेज 02 में गंगा सिटी अपार्टमेन्ट से रिबलौन रिजेंसी अपार्टमेन्ट तक जाने वाली सड़क को भिजन ग्लैक्सी अपार्टमेन्ट के सामने स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किये जाने के बावजूद स्थानीय पदा० के गलत प्रतिवेदन के आधार पर परियोजना पदा० सह अपर निदेशक के पत्रांक 2093, दिनांक 22.07.2025 में अतिक्रमण नहीं रहने की जानकारी दी गयी है, यदि हाँ तो सरकार गलत सूचना देने वाले पदा० के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये उक्त सड़क को कब तक अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

सड़कों का जीर्णोद्धार

*2521 श्रीमती रेणु देवी (08) (बेतिया):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है, कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया नगर निगम में के० आर० संत जेवरियस स्कूल से नहर तक एवं सुप्रिया रोड से कमलनाथ नगर जाने वाली सड़क की स्थिति जर्जर हो गयी है जो मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना 2024-25 के अंतर्गत स्वीकृत रहने के बावजूद अबतक निर्माण नहीं होने के कारण आमजनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में उल्लेखित सड़कों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

पदस्थापना करना

*2522 श्री मनोहर प्रसाद सिंह (67) (मनिहारी (अ० ज० जा०)):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी अनुमण्डल में भूमि सुधार उप-समाहर्ता का पद विगत छः महीने से अधिक समय से रिक्त है, जिससे विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पद पर पदस्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

बाजार का निर्माण

*2523 प्रो० नागेन्द्र राउत (26) (सुरसंड):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत नगर परिषद जनकपुर रोड में शहर के बीचोबीच सरकारी जमीन पर एक बृहद गुदड़ी बाजार अवस्थित है, जहाँ दूर-दूर से खरीद बिक्री करने हजारों की संख्या में ग्रामीण एवं शहरी नागरिक आते हैं जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं एवं गरीब जनता की भागीदारी रहती है, परन्तु वहाँ बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है, जिसके कारण बरसात, जाड़े व गर्मी के समय आम नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार नगर परिषद जनकपुर रोड में बुनियादी सुविधाओं से युक्त गुदड़ी बाजार का निर्माण व सौंदर्यीकरण कब तक करने

का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

अन्तर्राज्यीय बस अड्डा का निर्माण

*2524 श्री विष्णु देव पासवान (107) (दरौली (अ० जा०)):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि सिवान जिला का गुठनी प्रखंड उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, जहाँ अन्तर्राज्यीय (Inter-State) बस अड्डा नहीं रहने के कारण आम जनता को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एवं अन्य शहर जाने में काफी कठिनाई होती है; यदि हाँ, तो सरकार दरौली विधानसभा क्षेत्र समेत जिले के अन्य क्षेत्रों की आम जनता को दूसरे राज्य से आने - जाने हेतु दरौली विधानसभा अंतर्गत गुठनी प्रखण्ड में एक अन्तर्राज्यीय (Inter State) बस अड्डा का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है ,नहीं ,तो क्यों ?

अवैध कब्जा से मुक्त कराना

*2525 श्री साम्नीद वर्मा (09) (सिकटा):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1- क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला के सिकटा अंचल अंतर्गत ग्राम मुजौना में खात सं० 228 खसरा सं० 305 पर बने ब्रह्म स्थान की जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है;

2- क्या यह बात सही है कि अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा वाद सं० 501110119121701771 एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, बेतिया द्वारा वाद सं० 4011108198 के तहत वर्ष 2018 ई, में उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया गया था, परन्तु अब तक उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है;

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो,सरकार कब तक उक्त ब्रह्म स्थान की जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का विचार रखती है,नहीं तो क्यों?

सड़क निर्माण कराना

*2526 श्रीमती मनोरमा देवी (232) (बेलागंज):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि गया जी जिला मुख्यालय नगर निगम अंतर्गत वार्ड संख्या -29 में बी. एन. कॉलनी रोड नंबर- 1 से मुन्ना सिंह के घर होते हुए एकावनकुरी रोड तक का 2 किलोमीटर की सड़क जर्जर रहने के कारण स्थानीय नागरिकों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में कब तक उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

प्रक्रिया शुरू करवाना

***2527 श्री कुंदन कुमार (146) (बेगूसराय):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

1. क्या यह बात सही है कि सात निश्चय-2 के तहत बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र को जल-जमाव से मुक्ति दिलाने हेतु स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना हेतु 402.41 करोड़ रुपये का संशोधित प्राक्कलन, परियोजना निदेशक, बुडको, बेगूसराय के पत्रांक-387/परि0नि0, दिनांक-30.08.2023 द्वारा महाप्रबंधक, (असैनिक) उत्तर बिहार उपभाग, बुडको, पटना को समर्पित किया गया था ;

2. क्या यह बात सही है कि उक्त योजना हेतु समर्पित प्राक्कलन के आलोक में विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति अभी तक अप्राप्त होने के कारण शहरवासी जल -जमाव की विभीषिका झेलने को विवश हैं;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है , तो सरकार प्राथमिकता के आधार पर विभागीय प्रशासनिक स्वीकृत प्राप्त करते हुए उक्त योजना हेतु निविदा की प्रक्रिया कबतक शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल जल योजना का संचालन करना

***2528 श्रीमती मीना कुमारी (34) (बाबूबरही):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र-34 के लदनियाँ प्रखण्ड के पंचायत कुमरखत पूर्वी ग्राम-महोलिया/बिसहरिया एवं पथलागाढ़ा के वार्ड नं0-4,5,6,7,10 पंचायत में नल-जल योजनाएँ पूर्ण रूप से निर्मित होने के बावजूद चालू नहीं है;

2. क्या यह बात सही है कि उक्त सभी वार्डों में कोई अनुरक्षक/संचालक नियुक्त नहीं है, जिस कारण योजना बंद पड़ी है;

3. यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक उक्त सभी वार्डों में

नल जल योजना को सुचारू रूप से संचालन करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

खाद बाजार की स्थापना

***2529 श्रीमती शालिनी मिश्रा (15) (केसरिया):**

कृषि विभाग क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया और कल्याणपुर प्रखंड में इफको खाद बाजार तथा खाद थोक विक्रेता नहीं रहने के कारण किसानों को रक्सौल से खाद लाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक केसरिया और कल्याणपुर में इफको खाद बाजार स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई करना ।

***2530 मो० सरवर आलम (55) (कोचाधामन):**

सहकारिता विभाग :-

माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि कोचाधामन प्रखंड में वर्ष 2024-25 में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 20,404.330 एमटी था, जिसे वर्तमान वर्ष 2025-26 में घटाकर मात्र 13,435.00 एमटी कर दिया गया है ;

2. क्या यह बात सही है कि लक्ष्य में लगभग 7,000 एमटी की इस कटौती के कारण क्षेत्र के हजारों पंजीकृत किसान अपना धान सरकारी केंद्रों पर नहीं बेच पा रहे हैं और उन्हें खुले बाजार में औने-पौने दामों पर धान बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है ?

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है , तो सरकार कोचाधामन प्रखंड के किसानों के हित में धान खरीद का लक्ष्य तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर कम से कम 21,000 एमटी करने और पैक्सों के लिए मिलिंग दरों में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नाला निर्माण

***2531 श्री माधव आनंद (36) (मधुबनी):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला मुख्यालय नगर क्षेत्र में बी.यू.आई.डी.सी.ओ. के अंतर्गत स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम फेज-1 योजना के तहत कुल 14161 मीटर प्रस्तावित

नाला निर्माण में से मात्र 5992 मीटर कार्य को स्वीकृति मिलने के बाद कराया गया है तथा शेष 8169 मीटर कार्य आज भी स्वीकृति के अभाव में लंबित है, जिससे आम जनता जल जमाव की गंभीर समस्या से त्रस्त है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक लंबित 8169 मीटर नाला निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड का निर्माण

***2532 श्री भीषम प्रताप सिंह (106) (जीरादेई):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -
क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अंतर्गत मैरवा प्रखंड में मैरवा प्रखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है, जहाँ से काफी संख्या में बिहार से उत्तर प्रदेश में लोगों का आना जाना रहता है परन्तु वहाँ अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड नहीं होने के कारण वहाँ के आस-पास के लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; यदि हाँ, तो सरकार कब तक मैरवा में अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड का निर्माण कराकर आमजनों को सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

शवदाह गृह बनाना ।

***2533 श्री रणविजय साहू (135) (मोरवा) :**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर एवं शाहपुर पटोरी नगर परिषद क्षेत्र में मोक्ष धाम (शवदाह-गृह) का निर्माण नहीं होने से क्षेत्र की जनता को शव के दाह संस्कार में काफी कठिनाई होती है,

यदि हाँ, तो सरकार जनहित में उपरोक्त दोनो नगर परिषद क्षेत्र में मोक्ष धाम(शव दाह गृह) का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जलमीनार का निर्माण

***2534 श्रीमती सावित्री देवी (243) (चकाई):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत प्रखण्ड चकाई में स्थित अजयनदी के गुड़ियाघाट पर पेयजल की आपूर्ति नहीं होने से शुद्ध पेय जल की समस्या बनी हुई है;
2. क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर बड़ी जलमीनार के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 वितीय वर्ष 2018-19 में ही बना था, लेकिन अभी तक जलमीनार का निर्माण नहीं किया जा सका है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त स्थल पर बड़ी जलमीनार का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

प्रशासनिक भवन बनाना

***2535 श्री देवेशकान्त सिंह (111) (गोरेयाकोठी):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अंतर्गत के गौरेयारोठी विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर वर्ष 2021 में नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ है;
2. क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत बसंतपुर को अपना प्रशासनिक भवन नहीं रहने के कारण नगर पंचायत से संबंधित कार्यों के संचालन करने में कठिनाई होती है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक नगर पंचायत बसंतपुर में प्रशासनिक भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जल आपूर्ति कराना

***2536 श्री नचिकेता (166) (जमालपुर):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर नगर परिषद् एवं मुंगेर नगर निगम मे निर्मल जल योजना के अंतर्गत बुडको द्वारा हर घर नल-जल योजना कार्य कई जगह अभीतक पूर्ण नहीं कराया गया है जिसके कारण अबतक सुचारू रूप से जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है ; यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थानों में नियमित रूप से जल की आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

***2537 श्री भाई बिरेंद्र (187) (मनेर):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बिहटा प्रखंड स्थित बिहटा थाना स0-47 जमाबंदी स0-36 में कुल 23.78 एकड़ भूमि सारथ बिहार (सुगर मिल्स लि0 बिहटा) में सेवानिवृत्त 88 परिवार विगत 50-60 वर्षों से आवासित है। उक्त परिवारों को अंचलाधिकारी, बिहटा द्वारा उक्त स्थल से जबरन खाली कराया जा रहा है, जबकि उक्त मामला उच्च न्यायालय पटना, वाद स0-6502/15 लंबित है, यदि हाँ, तो उक्त परिवारों को न्यायालय आदेश तक खाली कराने का औचित्य क्या है?

कारवाई करना

***2538 श्री विशाल कुमार (12) (नरकटिया):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1- क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया, छौड़ादानों एवं बनकटवा प्रखण्ड में नल जल से अच्छादित ग्रामों में उच्च गुणवत्ता की पाईप नहीं लगाकर लोकल पाईप लगाने से लगभग सभी जगह पाईप जीर्णशीर्ण हो गया है एवं जल मिनार टूट गया है जिससे जलापूर्ति बाधित हो गयी है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त ग्रामों में जल मिनार एवं उच्च स्तर का पाइप लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

अत्याधुनिक मछली बाजार का निर्माण ।

***2539 श्री मुरारी मोहन झा (86) (केवटी):**

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग :-

क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(i) क्या यह बात सही है कि बिहार में मछली उत्पादन में मिथिला क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और सुपौल जिला में सबसे अधिक मछली का उत्पादन होता है;

(ii) क्या यह बात सही है कि आंध्रप्रदेश राज्यों में 150 से अधिक अत्याधुनिक फिश मार्केट हैं जबकि बिहार में एक भी नहीं हैं, जिस कारण मछुआरों को उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है ?

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक अन्य राज्यों की तरह बिहार के मिथिला क्षेत्र में भी अत्याधुनिक फिश मार्केट बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जल मीनार लगाना

***2540 श्री विमल राजवंशी (235) (रजौली (अ० जा०)):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्या यह बात सही है, कि नवादा जिला के रजौली विधानसभा क्षेत्र का मेसकौर प्रखंड पूर्ण रूप से पहाड़ी इलाका है तथा वहाँ पेजल की समस्या गंभीर है। सभी स्थानों पर टंकी निर्माण अधूरा है, पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है या मोटर/बोरिंग खराब होने से योजना बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक दोषी एजेंसी/ अधिकारी पर कार्रवाई करते हुये उक्त प्रखंड में एक बड़ा पानी पंप स्टोरेज एवं जल मीनार लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

आरसीसी पुल निर्माण कराना

***2541 श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा (197) (जगदीशपुर):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि पटना जिला के नगर परिषद सम्पतचक, वार्ड नं० 01, शेखपुरा मौजा में पोखर पर जाने वाली रास्ता में वादशाही पैन पर बना पुलिया जीर्णशीर्ण अवस्था में रहने के कारण पिछले तीन वर्षों से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त पुलिया के स्थान पर आरसीसी पुल का निर्माण कराने विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण मुक्त कराना

***2542 श्री गौतम कृष्ण (77) (महिषी):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अंतर्गत महिषी प्रखंड के ग्राम+पंचायत+मौजा-कुंदह में भूमि जिसका खाता सं०-430, खेसरा -1937, 1905, 1906, 1806(रकवा-14एकड़ 84 डिसमिल,0 हेक्टर) है, पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थल को खेल मैदान के रूप में विकसित करना

*2543 श्री इन्द्रदेव सिंह (110) (बड़हरिया):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अंतर्गत पचरूखी प्रखंड में 'तागाड़' नामक स्थल (ग्राम पंचायत राज जसौली) जिसका खात सं० 91, सर्वे नं०- 4308 है, पर पूर्व में सरकार द्वारा भवन निर्माण किये जाने के कारण वहां के युवाओं को खेल कूद एवं शारीरिक दक्षता में कठिनाई होती है;
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त खता सं० अंतर्गत शेष बची हुयी भूमि पर भवन निर्माण होने की बात चल रही है, इससे वहां के हजारों युवाओं में रोष व्याप्त है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक उक्त स्थल को खेल मैदान के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

वित्तीय अनियमितता की जाँच

*2544 श्री महेन्द्र राम (127) (राजापाकार (अ० जा०)):

सहकारिता विभाग :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के राजापाकार प्रखंड अंतर्गत लगुराँव विलन्दपुर अवस्थित पैक्स के अधीन कोल्ड स्टोरेज, राईस मिल ,दो गोदाम एवं किसानो की कृषि उपज अधिप्राप्ति एवं खाद्य वितरण का कार्य होता था, लेकिन वित्तीय अनियमितता के कारण इस पैक्स के सभी कार्यों पर रोक लगा दिया गया है, जिससे किसानो में असंतोष एवं आक्रोश है,

यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पैक्स के वित्तीय अनियमितता की जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करते हुए उक्त पैक्स को पुनर्जीवित कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

लंबित योजनाओं को पूर्ण करना

*2545 श्री सुभाष सिंह (101) (गोपालगंज):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

- 1.क्या यह बात सही है की जमीन के आभाव में गोपालगंज जिला मुख्यालय नगर परिषद्

क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाएँ जैसे सामुदायिक व पिक शौचालय, वेडिंग जोन, पार्किंग स्थल, पार्क, सीवरेज ट्रीटमेंट, नये बस स्टैंड की योजना लंबित है;

2. क्या यह बात सही है की विगत पांच वर्ष पूर्व में नगर परिषद् द्वारा जमीन उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन को पत्र दिया गया है, जिसपर अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है; यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, सरकार उक्त नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत जमीन के आभाव में लंबित योजनाओ को कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

प्रतीक्षालय एवं शौचालय निर्माण कराना

***2546 श्री कलाधर प्रसाद मंडल (60) (रूपौली):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बड़हरा कोठी, भवानीपुर, रूपौली से पूर्णियाँ, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा एवं पटना के लिए बस एवं छोटी गाड़ियों का परिचालन होता है, परन्तु उक्त बस स्टैंड में यात्री ठहराव हेतु प्रतीक्षालय भवन, एवं शुलभ शौचालय नहीं होने से आम यात्रियों को कठिनाई होती है, यदि, हाँ तो सरकार कबतक उक्त बस स्टैंड में प्रतीक्षालय भवन एवं शुलभ शौचालयका निर्माण कराने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला निर्माण

***2547 श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (109) (दारौंदा):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारी शरीफ प्रखंड के वार्ड संख्या-03 एफ0सी0आई0 रोड में सुहैल मैरेज हॉल के बगल में श्री सैयद जफरूल हसन के मकान से मुख्य सड़क तक बरसात के दिनों में जलजमाव की स्थिति बनी रहती है, जिस कारण आमजनों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है; यदि उपर्युक्त खंड को उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक उक्त वर्णित सड़क के पीसीसी निर्माण के साथ ही नाला निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टैण्ड स्थानांतरित करना

***2548 श्री कुमार प्रणय (165) (मुंगेर):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत मुख्य बाजार, मुंगेर के ट्रैफिक नं०-1 के नजदीक एक निजी बस स्टैण्ड होने के कारण मुख्य बाजार में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है; जिसके कारण शहर के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; यदि हाँ, तो सरकार कब तक जनहित में उक्त बस स्टैण्ड को स्थानांतरित करते हुए मुख्य सड़क से बाहर बायपास में स्थल चिह्नित कर स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

आकस्मिक दरों में वृद्धि/पुनरीक्षण

***2549 श्री जितेंद्र कुमार (171) (अस्थावाँ):**

सहकारिता विभाग :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

1. क्या यह बात सही है कि धान/गेहूँ अधिप्राप्ति में संलग्न सहकारी समितियों (पैक्स/व्यापार मंडल) को कमीशन मिलिंग शुल्क, मंडीश्रम शुल्क और हैंडलिंग शुल्क की आकस्मिक दरों में वर्ष 2012-13 से वृद्धि/पुनरीक्षण नहीं किया गया है, जबकि महंगाई में कई गुणा वृद्धि हो गई है;
2. क्या यह बात सही है कि सहकारी समितियों (पैक्स/व्यापार मंडल) को धान/गेहूँ अधिप्राप्ति व्यवसाय आकस्मिक व्ययमद की दरों में वृद्धि/पुनरीक्षण नहीं होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पर रहा है, एवं क्षति हो रही है;
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उपर्युक्त वर्णित आकस्मिक दरों में वृद्धि/पुनरीक्षण का विचार रखती हैं, नहीं तो क्यों ?

स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण

***2550 श्रीमती छोटी कुमारी (118) (छपरा):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सारण प्रमंडल का मुख्यालय और ऐतिहासिक शहर छपरा है, जो गंगा और सरयू नदियों के समीप स्थित होने के बावजूद दोषपूर्ण ड्रेनेज सिस्टम, पुराने और संकीर्ण नालों, कचरे के जमाव और बड़े पैमाने पर हुए अवैध अतिक्रमण के कारण भीषण जल जमाव की समस्या से ग्रस्त है, विशेषकर मानसून के दौरान शहर के मुख्य मोहल्ले (जैसे- साहेबगंज, नई बाजार, भगवान बाजार आदि) टापू में तब्दील हो जाते हैं

और पुरानी जलनिकासी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, यदि हाँ, तो सरकार छपरा नगर निगम क्षेत्र में कब तक 'स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम' का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के संबंध में ।

*2551 श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (20) (चिरैया):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही प्रखंड के पताही पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या- 04,05,06,07,09,12, एवं 13 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल-जल योजना का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं कराया गया है, जिसके कारण उक्त वार्डों में अब तक सुचारु रूप से जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त पंचायत के संबंधित वार्डों में जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

अस्पताल का भवन निर्माण करना ।

*2552 श्री राम चन्द्र प्रसाद (84) (हायाघाट):

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग :-

क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अंतर्गत हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड हायाघाट के आनन्दपुर सहोड़ा के प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का भवन नहीं होने से बगल के निजी किराये के मकान में संचालित किया जा रहा है;
2. क्या यह बात सही है कि आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय योजना-2 के तहत आनन्दपुर सहोड़ा में प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, तथा सहोड़ा पंचायत के लक्ष्मीपुर ज्योढ़ी में अस्पताल भवन हेतु भूमि चिन्हित होने के बाद भी पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उक्त अस्पताल का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

दिव्यांगों एवं विधवा महिलाओं का विशेष सर्वे करवाकर राशन कार्ड/अन्योदय कार्ड बनवाना ।

*2553 श्रीमती अनीता (239) (वारिसलीगंज):

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
क्या यह बात सही है कि बिहार प्रदेश में सभी निःशक्त दिव्यांगजन एवं गरीब विधवा महिलाओं को राशन कार्ड/अन्योदय कार्ड नहीं बनाये जाने के कारण इन लोगों को राशन बाजार मूल्य पर खरीद करनी पड़ती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति पहुँचती है, यदि हाँ, तो सरकार बिहार प्रदेश में सभी निःशक्त दिव्यांगों एवं विधवा महिलाओं का विशेष सर्वे करवाकर राशन कार्ड/अन्योदय कार्ड कब तक बनवाने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

कारवाई करना

***2554 Shri. PANKAJ KUMAR MISHRA (29) (Runnisaidpur):**

Food & Consumer Protection क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड के वंचित उपभोक्ताओं के द्वारा राशन कार्ड बनाने हेतु वर्ष 2025 में आवेदन दिये जाने के बाद भी अभी तक वंचित गरीब उपभोक्ताओं का राशन कार्ड नहीं बनाया गया, जिससे गरीबों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक वंचित उपभोक्ताओं को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

नाला एवं सड़क का निर्माण

***2555 श्री श्याम रजक (188) (फूलवारी (अ० जा०)):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पटना जिला के अंतर्गत पटना नगर निगम के वार्ड नं० 30 के भूपतिपुर सुरभी बिहार कॉलनी में भारती ज्वेलस के सटे शशिकांत कुमार सिपाही जी के घर से देवकुमार जी के घर तक 110 फीट लंबा एवं 12 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता है जिस पर हमेशा जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे बरसात के दिनों आमजनता को आवागमन में कठिनाई होती है; यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त स्थल पर पक्के नाला एवं सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

पार्क को अतिक्रमणमुक्त कराकर मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण कराना ।

***2556 श्री अजय कुमार (138) (विभूतिपुर):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के खगड़िया प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत माडर में सन् 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए प्रभु नारायण सिंह के नाम से बना पार्क जीर्ण-शिर्ण अवस्था में है, जिसके कारण असमाजिक तत्वों द्वारा पार्क की जमीन को अतिक्रमण कर ली गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पार्क को अतिक्रमणमुक्त कराकर पार्क की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

अपार्टमेंटों की सोसाईटी का निबंधन कराना

***2557 मो० आबिदुर रहमान (49) (अररिया):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत दानापुर स्थित द लैण्ड मार्क गोल्ड अपार्टमेंट सहित शहर के अन्य अपार्टमेंट में स्थापित सोसाईटी का निबंधन नहीं रहने के कारण सोसाईटी का कार्य बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त वर्णित अपार्टमेंट सहित अन्य अपार्टमेंटों की सोसाईटी का निबंधन कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

मार्जिन मनी का भुगतान करना

***2558 मो० कमरुल होदा (54) (किशनगंज):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को सितम्बर 2025 से मार्जिन मनी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मार्जिन मनी का भुगतान कराते हुए विलम्ब के लिए दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जमीन का जाँच कराना

***2559 श्री कुमार शैलेन्द्र (152) (बिहपुर):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के नारायणपुर अंचल अंतर्गत नगरपाड़ा मौजा एराजी , खाता -183 ,खेसरा -876,879 एवं 880 , रकवा 01 एकड़ 90 डीसमिल जमीन जमाबंदी - 183 में दर्ज है;
2. क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन भातु बाबा स्थान के नाम से जमाबंदी है एवं उसको सेवायत दखल कर लिया है ;
3. यदि उर्पयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो उक्त भातु बाबा स्थान के जमीन जिसे सेवायत द्वारा दखल कर लिया गया है की जाँच कराना चाहती है , हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?

कृषि महाविद्यालय निर्माण कराना ।

***2560 श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (102) (कुचायकोट):**

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखण्ड-कुचायकोट के पंचायत राज सिपाया में कृषि महाविद्यालय के निर्माण हेतु सरकार की पर्याप्त भूमि उपलब्ध रहने के बावजूद वहाँ उक्त महाविद्यालय नहीं होने से छात्र-छात्राओं को काफी दूर आवागमन कर पठन-पाठन करने जाना पड़ता है, जिससे उन्हें कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक सिपाया में कृषि महाविद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कृषि इनपुट का अनुदान देना

***2561 श्रीमती कोमल सिंह (88) (गायघाट):**

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

1-क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट विधान सभा क्षेत्र के गायघाट प्रखंड में पिछले वर्ष बागमती नदी से आये बाढ़ के कारण किसानों का फसल डूब जाने से उन्हें आर्थिक क्षति हुयी है;

2-क्या यह बात सही है कि प्रभावित किसानों द्वारा कृषि इनपुट अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है परंतु अभी तक कृषि इनपुट नहीं मिल सका है, जिससे किसान भुखमरी के कगार पर है तथा आर्थिक तंगी में जीने को मजबूर है;

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रभावित किसानों को ऑनलाइन के माध्यम से नियमानुसार कृषि इनपुट का अनुदान देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति कराना

*2562 श्री मिथुन कुमार (158) (नाथनगर):

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग :-

क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नाथनगर विधान सभा के सबौर प्रखण्ड के प्रांगण में अवस्थित पशु अस्पताल में स्वीकृत पदों के विरुद्ध पशु चिकित्सक की कमी के कारण उक्त क्षेत्र में मवेशी मर रहे हैं साथ ही जानवरों का इलाज नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक सबौर प्रखण्ड में अवस्थित अस्पताल में पशु चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कारवाई करना

*2563 श्री चन्द्रशेखर (73) (मधेपुरा):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम बुडकों नालंदा निविदा संख्या 23/2025-26/नालंदा दिनांक 15.09.2025 द्वारा 28 सड़क एवं सामुदायिक भवन के निर्माण से संबंधित है;
2. क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत एकंगरसराय अंतर्गत वार्ड नं0 12 बड़की धावा में तिवारी स्थान के समीप सामुदायिक भवन एवं एकंगरसराय पुराना चौक से उत्तर दक्षिण दोनों तरफ जहानाबाद रोड में पेट्रोल पंप के निकट तक नाला का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त वर्णित कार्यों को कब तक पूर्ण कराना चाहती है, नहीं तो क्यों?

सड़क का निर्माण

*2564 श्रीमती संगीता कुमारी (204) (मोहनिया (अ० जा०)):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के मोहनियाँ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुदरा प्रखंड के वार्ड नं०-03 अवस्थित गरवाडीह बस्ती में आने जाने के लिए आज भी कच्ची सड़क रहने के कारण बरसात एवं अन्य दिनों में स्थानीय आम लोगों के साथ-साथ स्कूल आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक नेवरास मोड़ से नहर के बगल से होते हुए गरवाडीह बस्ती तक सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2565 श्री महेश पासवान (195) (अगिआंव (अ० जा०)):

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग :-

क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अगिआवां प्रखंड में स्थित पशु अस्पताल का सरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने के कारण अस्पताल निजी भवन में संचालित किया जा रहा है; यदि हाँ तो सरकार कबतक पशुपालकों एवं किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये उक्त पशु अस्पताल हेतु स्थायी सरकारी भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण मुक्त करना

*2566 श्रीमती देवती यादव (46) (नरपतगंज):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख संख्या-124/2022 मे पारित आदेश के आलोक में खाता संख्या- 109 खेसरा संख्या- 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1652, 1653, 1655, 1731, 1656, 1994, 1656/1995, 1656 से कुल रकबा 16 एकड़ 65 डिसमील भूमि का जमाबंदी अंचलाधिकारी नरपतगंज द्वारा रामजानकी मंदिर फुलकाहा के नाम से सृजित कर लगान रसीद निर्गत कर दिया गया है;

2. क्या यह बात सही है कि अंचल कार्यालय नरपतगंज के ज्ञापांक-1963 दिनांक 16.08.2022 द्वारा अतिक्रमणकारियों को उपरोक्त भूमि खाली करने का नोटिस दिया गया, परन्तु अभी तक उक्त जमीन को खाली नहीं किया गया है;

यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?

सीवेरज ट्रीटमेंट प्लांट चालू कराना

***2567 Shri. ROHIT PANDEY (156) (Bhagalpur):**

Urban Development & Housing क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलामुख्यालय विधानसभा क्षेत्र में सूर्यलोक कॉलोनी होते हुए खुटहा रोड स्थित गौरधौय नदी में गिरने वाली नालियों के अपशिष्ट जल के उपचार हेतु निर्मित बुडको का सीवेरज ट्रीटमेंट प्लांट STP आज तक पूर्णतः क्रियाशील नहीं है, परिणामस्वरूप बिना उपचार का गन्दा पानी आवासीय क्षेत्रों में फैल रहा है जिससे स्वच्छता व स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो गया है? यदि हाँ तो सरकार कब तक सीवेरज ट्रीटमेंट प्लांट चालू कराने का विचार रखती हैं, नहीं तो क्यों?

सब्जी मंडी निर्माण

***2568 श्रीमती अश्वमेध देवी (133) (समस्तीपुर):**

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

1. क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत समस्तीपुर एवं ताजपुर प्रखंड में अधिकांश किसान सब्जी की खेती पर निर्भर हैं, परन्तु उक्त दोनों प्रखंडों में एक भी सरकारी सब्जी मंडी उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को सड़क किनारे अथवा यत्र-तत्र सब्जी बेचने के लिए विवश होना पड़ता है, जिससे उनके उत्पादन का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त दोनों प्रखंडों में सरकारी सब्जी मंडी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

पंचायत भवन निर्माण कराना

***2569 श्री चेतन आनंद (221) (नवीनगर):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के वारुण प्रखंड अंतर्गत वारुण नगर पंचायत को अपना भवन नहीं रहने के कारण पूर्व से बने पंचायत सरकार भवन में कार्यालय कार्य करने से आमजनता एवं कर्मियों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक वारुण नगर पंचायत में नगर पंचायत भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

जलापूर्ति कराना

***2570 श्री संजय कुमार पाण्डेय (03) (नरकटियागंज):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत नगर परिषद् नरकटियागंज के वार्ड संख्या-11 एवं 12 में नल-जल योजना के तहत सभी घरों में नल लगाने का कार्य चल रहा है, परन्तु अभी भी अधिकांश घरों में नल -जल योजना के तहत जलापूर्ति का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्ड संख्या-11 एवं 12 में कब तक सभी घरों में नल-जल योजना के तहत जलापूर्ति करवाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

मुआवजा भुगतान कराना

***2571 श्री विनय कुमार सिंह (122) (सोनपुर):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि एन0एच0-19 फोरलेन निर्माण हेतु सारण जिलान्तर्गत दिघवारा प्रखंड के रामपुर आमी मौजा के खाता सं0-387,379, खेसरा सं0-710/2012 भूमि का अधिग्रहण आठ वर्ष पूर्व किया गया तथा भूस्वामी को मुआवजा भुगतान हेतु नियमानुसार तीन नोटिस दिये बगैर कार्यालय अभिलेख में नोटिस प्राप्ति की गलत सूचना दर्ज कर मुआवजा राशि को जिला भूअर्जन कार्यालय, सारण के पत्रांक-673, दिनांक-05.03.2020 द्वारा सक्षम न्यायालय में जमा कर दिया गया है;

2. क्या यह बात सही है, कि भूस्वामियों से प्राप्त अभिश्रव के आलोक में भूअर्जन कार्यालय सारण द्वारा मात्र एक बार पत्रांक-1487/भू0अ0, दिनांक-17.06.2020 द्वारा मुआवजा राशि वापस करने हेतु सक्षम न्यायालय से अनुरोध किया गया परन्तु अबतक राशि वापस नहीं किया गया है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए मुआवजा भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण मुक्त कराना

***2572 श्री शम्भू नाथ यादव (199) (ब्रहमपुर):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखण्ड के ग्राम मलखनिया मौजी पीढी में अवस्थित राम जानकी मंदिर के नाम से लगभग चालीस बीघा से अधिक जमीन है जिसके आमदनी से मंदिर का रख-रखाव एवं अन्य कार्य किया जाता है;
2. क्या यह बात सही है कि स्थानीय लोगों द्वारा उक्त जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उतर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

मुजफ्फरपुर शहर में अंचल का गठन करना

***2573 श्री रंजन कुमार (94) (मुजफ्फरपुर):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल अत्यधिक है, जहाँ 49 वार्ड एवं 4 पंचायत के निवासियों को अंचल संबंधी प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्यों हेतु दूरस्थ बोचहां विधानसभा अवस्थित मुशहरी अंचल जाना पड़ता है, जिससे उक्त विधानसभा क्षेत्र की जनता को असुविधा के साथ-साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; यदि हाँ, तो क्या सरकार मुजफ्फरपुर शहर हेतु पृथक सदर अंचल के गठन की दिशा में यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण मुक्त करना

***2574 डॉ. कुमार पुष्पंजय (170) (बरबीघा):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के बरबीघा नगर में अवस्थित श्रीकृष्ण सिंह चौक अतिक्रमित और सौंदर्य विहीन रहने के कारण उक्त चौक पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है साथ ही वहाँ श्री बाबू की लगी प्रतिमा भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक चौक को अतिक्रमण मुक्त करते हुये सौंदर्यीकरण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

आधुनिक गोदाम का निर्माण कराना

***2575 श्री अजय कुमार (231) (टिकारी):**

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत प्रखंड टिकारी अवस्थित बीज गुणन प्रक्षेत्र (कृषि फार्म हाउस) में फसलों के भंडारण हेतु उपयोग में आने वाले गोदामों की स्थिति पिछले दस वर्षों से काफी जर्जर होने के कारण वहां भंडारित किये गए खाद, बीज के साथ-साथ विभिन्न मौसमों में उगाये गए फसलों के भंडारण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है; यदि हाँ, तो सरकार कबतक बीज के साथ-साथ उपर्युक्त फसलों के रख-रखाव हेतु जर्जर गोदामों के स्थान पर आधुनिक तथा बड़ा गोदाम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई करना

***2576 श्रीमती विभा देवी (237) (नवादा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत प्रखंड नवादा के सिविल कोर्ट के पीछे पूरब तरफ अधिवक्ताओं को बैठने हेतु भवन निर्माण के लिए विभाग द्वारा दी गयी सरकारी भूमि को भू-माफियाओं ने प्रखंड अंचल के प्रशासनिक पदाधिकारियों के सहयोग से चहारदिवारी दे रखा है जिससे अधिवक्ताओं को असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक दोषी पदाधिकारियों एवं भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

स्वीकृति प्रदान करना

***2577 श्री मंजीत कुमार सिंह (100) (बरौली):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवेज (उत्तर बिहार उपभाग) नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के पत्रांक-149 दिनांक- 28.08.2025 द्वारा गोपालगंज जिला के नगर परिषद बरौली की पांच योजनाओं हेतु 9,03,50,400.00 (नौ करोड़ तीन लाख पचास हजार चार सौ रूपये) की राशि का तकनीकी अनुमोदन स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता नगर विकास अंचल सारण (छपरा) को पत्र लिखा गया था ;

2. क्या यह बात सही है कि अधीक्षण अभियंता, नगर विकास अंचल, सारण (छपरा) द्वारा अबतक तकनीकी अनुमोदन नहीं दिए जाने के कारण विकास कार्य अवरूध है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कबतक उक्त योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करा कर उन्हें पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कचरा निस्तारण

***2578 श्री कृष्ण कुमार ऋषि (59) (बनमनखी (अ० जा०)):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे की:-

1. क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिला अंतर्गत नगर परिषद बनमनखी के वार्ड नंबर 16 में कचरा डंपिंग यार्ड है, जिसमें शहर से उठाए गए गीला एवं सूखा कचरा को एक ही जगह पर डंप किया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण होने की गंभीर खतरा उत्पन्न हो गई है, जिससे नगर परिषद सहित ग्राम पंचायत धरहरा भी प्रभावित हो गया है;
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए कचरा निस्तारण का उचित प्रबंध करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

जलापूर्ति सुनिश्चित कराना

***2579 श्री प्रमोद कुमार सिंह (224) (रफीगंज):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के रफीगंज प्रखंड के बलार, कजपा व भदुकीकला पंचायत जो पहाड़ी क्षेत्र है, में नल-जल का कार्य अधूरा है, जो कार्य हुआ भी है उसकी गुणवत्ता निम्न स्तर की है, जिससे नियमित जलापूर्ति नहीं हो पाती है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुए नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमिहीनों को बासगीत पर्चा देना ।

***2580 श्री जितेन्द्र कुमार राय (117) (मढ़ौरा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा अंचलाधिकारी द्वारा अभिलेख

सं-3/2023-24 विजय राम, सकल राम, पारस डोम सहित 10 भूमिहीन को बासगीत पर्चा देने हेतु मौजा-सलीमापुर, थाना नं0-54, खाता नं0-211, सर्वे नं0-463, रकवा-8 कट्टा भूमि अनुशंसा के साथ भूमि उपसमाहर्ता, मढ़ौरा को भेजा गया है;

2. क्या यह बात सही है कि उक्त के आलोक में भूमि उप समाहर्ता, मढ़ौरा द्वारा पत्रांक -1058, दिनांक-19-05-2025 को अपर समाहर्ता, सारण, छपरा को भेजा गया है, परन्तु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी भूमिहीनों को बासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में ।

***2581 श्री रितुराज कुमार (217) (घोसी):**

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के किसानों की सुविधा हेतु आईएफएफसीओ (IFFCO) कंपनी के उर्वरक को जहानाबाद रेक प्वाइंट पर नियमित रूप से उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण किसानों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार आईएफएफसीओ उर्वरक की आपूर्ति जहानाबाद रेक प्वाइंट तक सुनिश्चित करते हुये उर्वरक कंपनी द्वारा खाद दुकानों तक एफ.ओ.आर. (FOR) व्यवस्था के अंतर्गत परिवहन कराए जाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

नगर पंचायत बनाना

***2582 श्री रामेश्वर कुमार महतो (27) (बाजपट्टी):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि 12000 की आबादी वाले राजस्व ग्राम को नगर पंचायत बनाने हेतु राज्य सरकार ने मानक निर्धारित किया है;

2. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के प्रखंड मुख्यालय एवं राजस्व ग्राम बाजपट्टी की आबादी 12000 से अधिक है, जो नगर पंचायत बनने की सभी मानक को पूरा करता है, उसे अभी तक नगर पंचायत नहीं बनाया गया है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में सीतामढ़ी जिला के प्रखंड मुख्यालय एवं राजस्व ग्राम बाजपट्टी को नगर पंचायत बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

ड्रेनेज पम्प हाउस का निर्माण कराना

*2583 श्री आदित्य कुमार (92) (सकरा (अ० जा०)):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दानापुर नगर परिषद के वार्ड नं०-37 में गोला रोड स्थित सोनु मार्केट से रामाशीष अपार्टमेंट होते हुए पाटलीपुत्र जंक्शन के निकट बेली रोड-दीघा लिंक पथ को जोड़ने वाली सड़क के किनारे स्थित कच्चा नाला से पूरे वार्ड का पानी नहर में जाता है;

2.क्या यह बात सही है कि प्रत्येक वर्ष बरसात के चार महीना अस्थायी ड्रेनेज पम्पिंग सेट से नाला का पानी नहर में डाला जाता है, जिस पर काफी राशि खर्च होती है;

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पथ में अतिक्रमण हटाकर पक्का नाला सह सड़क निर्माण के साथ बेली रोड-दीघा लिंक पथ के किनारे नगर परिषद की जमीन पर स्थायी ड्रेनेज पम्प हाउस का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

जमाबंदी त्रुटि सुधार करना

*2584 श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (193) (बड़हरा):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1-क्या यह बात सही है कि जमाबंदी पंजी की त्रुटियों को दूर करने हेतु परिमार्जन प्लस पोर्टल पर समर्पित आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर निष्पादित नहीं करने वाले राजस्वकर्मियों पर लगाये गये आरोपों से संबंधित जांच प्रतिवेदन की मांग विभागीय पत्रांक-1808(15), दिनांक 06-10-25 द्वारा समाहर्ता, वैशाली से की गयी ;

2-क्या यह बात सही है कि पत्र निर्गत होने की तिथि से चार माह बीत जाने के बावजूद अभी तक विभाग को जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है ;

3-यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर दोषी पर कार्रवाई करते हुए तय सीमा में जमाबंदी त्रुटि सुधार कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जमीन वापस देना

*2585 श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (240) (सिकन्दरा (अ० जा०)):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत सूर्यगढ़ा अंचल के सिंगारपुर पहाड़तर मांझी टोला वार्ड सं०-०३ के मौजा में जमीन का खाता सं०- ७१ एवं खेसरा नं०- १०१, डिसमिल १९ पर पर्चा वाला जमीन को दबंगों के इशारे पर अंचल अधिकारी सूर्यगढ़ा द्वारा अवैध रूप से बिना जमाबंदी के मंदिर के नाम पर कर दिया गया है ;
२. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले उक्त जमीन का पर्चा देकर अनुसूचित जाति मांझी के कुल ३३ परिवारों को शांतिपूर्वक बसाया गया था ;
३. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुये उक्त जमीन पर्चाधारी को वापस करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

नाला का निर्माण

*2586 श्री संदीप सौरभ (१९०) (पालीगंज):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (१) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अंतर्गत पालीगंज नगर पंचायत के पुरनी सरैया (वार्ड संख्या—१९-२०) में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण वहाँ जलजमाव की गंभीर स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक पुरनी सरैया में स्थायी जल निकासी हेतु नाला निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

स्थानांतरण करना

*2587 श्री अमरेन्द्र कुमार (२१९) (गोह):

कृषि विभाग क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि विशेष सचिव, कृषि भवन पटना में पिछले ०७ वर्षों से एक ही स्थान एवं एक ही विभाग में प्रतिनियुक्त हैं, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार नियमानुसार प्रत्येक ०३ वर्ष पर स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त पदाधिकारी का नियमानुसार अन्यत्र स्थानांतरण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

चापाकल लगाना

***2588 श्री रोमित कुमार (233) (अतरी):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

अतरी विधानसभा अंतर्गत मोहड़ा प्रखंड के ग्राम धामपत्थरी के महादलित टोला में चापाकल निर्माण हेतु अब तक कोई सर्वेक्षण अथवा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं किया गया है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ तो सरकार महादलित टोला में चापाकल लगाये जाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सड़क का उदघाटन करना

***2589 मो० तौसीफ आलम (52) (बहादुरगंज):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फूलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में ब्रम्हापुर बाजार मुख्य सड़क से श्यामाराय कॉलोनी होते गायत्री निवास तक पीसीसी सड़क सह नाला का निर्माण वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15वीं वित्त मद की राशि से की गयी है;
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं किया गया है तथा सड़क निर्माण से संबंधित शिलापट्ट लगाये बगैर राशि की निकासी कर ली गयी है;

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण कार्य की जाँच कराने के साथ-साथ शिलापट्ट लगाते हुये उदघाटन कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

कार्रवाई करना

***2590 श्री वीरेन्द्र सिंह (234) (वजीरगंज):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के मानपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम-नौरंगा, मोहल्ला-जनकपुर, थाना संख्या-316, खाता संख्या-198, प्लॉट सं०-1016 एवं 1027 तथा खाता संख्या- 199 प्लॉट संख्या- 1018, कुल रकबा 75 डिसमिल भूमि गैरमजरूआ मालिक एवं गैरमजरूआ आम के रूप में सर्वे खतियान में दर्ज है;
2. क्या यह बात सही है कि उक्त भूमि बिहार सरकार की है, जिस पर भू- माफियाओं

द्वारा पिलर/खंभा लगाकर घेराबंदी कर अवैध कब्जा किया जा रहा है;
यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो ,सरकार कबतक उक्त भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने तथा भू- माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

मल्टी स्टोरेज वेंडिंग जोन

*2591 डॉ. सुनील कुमार (172) (बिहारशरीफ):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के पूरे बिहार शरीफ नगर क्षेत्र में स्थानीय वेंडर के कारण हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आमजनता को आवागमन में कठिनाई होती है, तो क्या सरकार कबतक भाराँव मोड़ सहित नगर क्षेत्र में स्थान चिन्हित कर मल्टी स्टोरेज वेंडिंग जोन एवं पार्किंग का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान

*2592 श्री नितेश कुमार सिंह (58) (कसबा):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :
1.क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत चंपानगर बाजार (वार्ड संख्या 8), एवं वार्ड संख्या 9 से 12 के बाजार क्षेत्र में पर्याप्त नाला के अभाव एवं जाम रहने के कारण बरसात के मौसम में प्रत्येक वर्ष गंभीर जलजमाव की समस्या उत्पन्न होती है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त प्रभावित वार्डों में जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

न्यायसंगत सुनवाई

*2593 श्रीमती संगीता देवी (65) (बलरामपुर):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न अंचलों में भूमि दाखिल—खारिज से संबंधित आवेदनों को अनेक मामलों में बिना किसी ठोस आधार के अथवा केवल औपचारिक सुनवाई कर, आवेदक को कथित दस्तावेज़ीय कमियों को दूर करने या पुनः दस्तावेज़

प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिए बिना मनमाने ढंग से खारिज कर दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक सुनवाई प्रक्रिया को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने हेतु रीयल-टाइम ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग अथवा डिजिटल लॉग बुक जैसी व्यवस्था जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि आवेदक को निर्धारित तिथि पर वास्तविक एवं न्यायसंगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, लागू करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

नीलगाय को वर्मिन घोषित करना

***2594 श्री शंकर प्रसाद (97) (पारू):**

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पारू विधानसभा क्षेत्र में नीलगायों (घोड़परास) की बढ़ती संख्या से किसानों की रबी और खरीफ फसलें बड़े पैमाने पर नष्ट हो रही हैं;

2. क्या यह बात सही है कि नीलगायों के आतंक के कारण किसान खेती छोड़ने को मजबूर हैं और वर्तमान मुआवजा प्रक्रिया अत्यंत जटिल होने से उन्हें कोई राहत नहीं मिल पा रही है;

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नीलगायों को 'वर्मिन' घोषित करने की दिशा में कार्य करते हुए खेतों की घेराबंदी के लिए विशेष अनुदान देने सहित फसलों के नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे को सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

कार्रवाई करना

***2595 श्री विजय कुमार खेमका (62) (पूर्णियाँ):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिला के पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक में दो राजस्व हाट (सेरात) हरदा हाट एवं अंदेली हाट में हाट सेड एवं सभी मूलभूत सुविधा नहीं होने से आम ग्रामीणों को क्रय विक्रय हेतु परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

2. क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों हाटों से विभाग को बड़ी राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होती है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, सरकार कब तक उक्त दोनों हाटों में

हाट सेड एवं सभी मूलभूत सुविधा वहाँ आने वाले क्रेता एवं विक्रेता के लिए उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समाधान करना

*2596 श्री आनन्द मिश्र (200) (बक्सर) :

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

1. क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला की चौसा ताप विद्युत परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में कुछ किसानों द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन, मुआवजा निर्धारण तथा पुनर्वास-पुनर्स्थापन को लेकर असंतोष व्यक्त किया गया है?
2. क्या यह बात सही है कि कुछ मामलों में मुआवजा निर्धारण पुराने सर्किल रेट के आधार पर किया गया है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, सरकार किसानों एवं परियोजना, दोनों के हित में आपसी संवाद एवं शांतिपूर्ण समाधान हेतु कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

मत्स्य विस्तार अधिकारी की नियुक्ति करना

*2597 Shri. BINAY KUMAR CHOUDHARY (80) (Benipur) :

Dairy, Fisheries and Animal Resources Department क्या मंत्री ,डेयरी,मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार में लगातार 2005 के बाद मछली उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो रही है,2005 की तुलना में बढ़ोत्तरी चार गुना से ज्यादा है ?
 - 2.क्या यह बात सही है कि बिहार में मछली उत्पादन बढ़ने की असीम क्षमता है जो कि नई तकनीक और वैज्ञानिक सलाह से ही संभव है?
- यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है ,तो क्या सरकार मछली उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु मत्स्य विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है , नहीं तो क्यों ?

बस स्टैंड का निर्माण कराना

*2598 श्री नंद किशोर राम (02) (रामनगर (अ० जा०)):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत रामनगर नगर परिषद में बस स्टैंड नहीं है जिस कारण यात्रियों को काफी असुविधा होती है;
2. क्या यह बात सही है कि नगर में यात्रियों को रास्ते में बस रोक कर उतरने पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है एवं जाम की समस्या उत्पन्न होती है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक उक्त नगर परिषद में बस स्टैंड का निर्माण कराने का विचार रखती है नहीं तो क्यों?

बोरिंग लगवाना

***2599 श्री सिद्धार्थ सौरव (191) (बिक्रम):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बिक्रम विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रखण्ड — बिक्रम, पंचायत — दतियाना, ग्राम — गोविंदपुर के वार्ड न० — 8 में नल-जल योजना से लगभग 150 घरों को पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित ग्राम के वार्ड में एक अतिरिक्त बोरिंग देकर जल संकट से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

समस्या का समाधान

***2600 श्री मुरारी प्रसाद गौतम (207) (चेनारी (अ० जा०)):**

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला सहित पूरे शाहाबाद क्षेत्र में नीलगाय एवं अन्य जंगली जानवरों के कारण किसानों की फसलें लगातार नष्ट हो रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक इस समस्या का समाधान कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

***2601 श्री राजू तिवारी (14) (गोविन्दगंज):**

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में

फल एवं सब्जी भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिसके कारण किसानों को अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, खास कर नोनिया मखनिया पंचायत भंडारण सुविधा के अभाव से विशेष रूप से प्रभावित है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक गोविंदगंज विधानसभा के साथ साथ उक्त पंचायत में फल एवं सब्जी के भंडारण हेतु कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

नगर पंचायत का दर्जा देना

***2602 मो० फैसल रहमान (21) (ढाका):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत घोड़ासहन को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान किये जाने हेतु प्रारूप अधिसूचना निर्गत की गई थी, जिसका कार्यान्वयन अभी तक नहीं किया गया है ;

यदि हाँ, तो सरकार घोड़ासहन को कबतक नगर पंचायत का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

समय सीमा निर्धारित करना

***2603 श्री रूहेल रंजन (174) (इस्लामपुर):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के बौरीडीह पंचायत, औंगारी पंचायत एवं धुर गाँव पंचायत सहित पूरे विधान सभा क्षेत्र में जल-नल योजना के अंतर्गत आनेवाली तकनीकी समस्याओं के निराकरण में विभाग द्वारा अत्यधिक विलम्ब किये जाने के कारण स्थानीय जनता को इस योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

बस पड़ाव का निर्माण

***2604 श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी (211) (नोखा):**

नगर विकास एवं आवास विभाग क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत 211 नोखा विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड मुख्यालय नोखा एवं राजपुर में बस पड़ाव नहीं रहने के कारण बीच सड़क पर ही यात्रियों

को उतारा एवं चढ़ाया जाता है, जिसके कारण आये दिन वहां जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों प्रखण्ड मुख्यालयों में बस पड़ाव का निर्माण कराने का विचार रखती है? नहीं तो क्यों ?

सड़क एवं नाला निर्माण कराना

***2605 श्री राज कुमार राय (140) (हसनपुर):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि पटना जिला के फुलवारीशरीफ नगर परिषद के वार्ड नं0 10 में एकता नगर स्थित पूर्णन्देश्वर शिव मंदिर से बालाजी अपार्टमेंट तक जाने वाली सड़क जीर्ण-शीर्ण और नाला का भी निर्माण नहीं होने से शहरवासियों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण कराते हुये नाला का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

बसेरा-2 अभियान के तहत बासगीत पर्चा की सुविधा प्रदान करना ।

***2606 श्री विनय बिहारी (05) (लौरिया):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में भूमिहीन दलित व अतिपिछड़ें वर्ग के परिवारों को बसेरा-2 अभियान के तहत आच्छादित करने की प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है;

2. क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया अंचल के पंचायत मठिया में परसा धांगड़ बस्ती, बंसवरिया पराउटोला धांगड़ बस्ती, गोवरौरा के मटियरिया मुसहरी बस्ती, धमौरा गांधी चौक के पास धांगड़ बस्ती, दनियाला परसौना मुसहर बस्ती, कटैयां दलित बस्ती, धोवनी धरमपुर स्थित धोवनी दलित बस्ती, साठी मुसहर बस्ती एवं नगर पंचायत लौरिया के पटहेरनी चमार बस्ती, नंदनगढ़ चौक मुसहर बस्ती के परिवारों के पास बासगीत पर्चा नहीं है;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक उक्त बस्ती के सभी परिवारों को बसेरा-2 अभियान के तहत सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

स्ट्रीट लाईट की मरम्मत कराना

*2607 श्री बशिष्ठ सिंह (209) (करगहर):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नगर पंचायत कोचस में लगभग 5-6 वर्ष पूर्व स्ट्रीट लाईट लगाया गया था जो मरम्मत के अभाव में अधिकांश लाईट नहीं जल रहा है, जिससे नगर वासियों को रात्रि के समय आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ तो सरकार कब तक नगर पंचायत कोचस में स्ट्रीट लाईट की मरम्मत कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

मैदान का सौंदर्यकरण करना

*2608 श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह (212) (डिहरी):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत डेहरी नगर परिषद में घनी आबादी के बीच **चित्रगुप्त मैदान** अवस्थित है, जो पहले बच्चों के खेलकूद एवं आम नागरिकों के समाजिक एक्टिविटी का केंद्र हुआ करता था ;

2. क्या यह बात सही है कि उक्त मैदान पर विगत पाँच वर्षों से खनन विभाग द्वारा जल वाहनों का पड़ाव कर अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे बच्चों का खेलकूद बाधित हो गया है और यहां काफी गंदगी फैल गई है, जिससे आसपास के लोग त्रस्त हैं ;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार खनन विभाग के सभी गाड़ियों को वहां से हटाकर मैदान को खाली करा उसका सौंदर्यकरण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

विद्युत् शवदाह गृह का निर्माण

*2609 श्री राम सिंह (04) (बगहा):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि प. चम्पारण जिला अंतर्गत बगहा नगर में "विद्युत् शवदाह गृह" नहीं रहने से आम जनों को "दाह संस्कार कार्य" कराने में कठिनाई होती है, खासकर जाड़े

एवं बरसात के दिनों में यह कठिनाई और भी अधिक हो जाती है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में कब तक बगहा नगर में “विद्युत् शवदाह गृह” का निर्माण का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

महिला पैक्स प्रबंधक को न्याय देना

***2610 श्री अभिषेक रंजन (07) (चनपटिया):**

सहकारिता विभाग :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

1-क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अंतर्गत महारस पैक्स में प्रबंधक के पद पर कार्यरत श्रीमती गुड्डी कुमारी के संबंध में संयुक्त निबंधक, कोशी प्रमण्डल द्वारा दिनांक 30.08.2025 को निर्गत न्यायिक आदेश, पत्रांक—413 में उन्हें वैध प्रबंधक मानते हुए पद पर बने रहने का निर्देश दिया गया तथा स्पष्ट किया गया कि यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक किसी न्यायालय अथवा वरीय पदाधिकारी द्वारा कोई भिन्न आदेश पारित नहीं किया जाता;

2-क्या यह बात सही है कि किसी भी न्यायालय अथवा वरीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश को निरस्त नहीं किए जाने के बावजूद उसी संयुक्त निबंधक द्वारा पत्रांक-36, दिनांक 21.01.26 जारी कर अपने ही अंतिम आदेश पर रोक लगा दी गई,

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई एवं महिला पैक्स प्रबंधक को न्याय एवं राहत प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

अतिक्रमण मुक्त कराना

***2611 श्री संजय कुमार सिंह (76) (सिमरी बख्तियारपुर):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर मुख्य बाजार के डाक बंगला से स्टेशन रोड तक फुटपाथी विक्रेताओं द्वारा अवैध रूप से हाट (बाजार) लगने के कारण प्रतिदिन गंभीर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम जनता और रेल यात्रियों को कठिनाई होती है, जबकि उक्त मार्ग के समीप ही पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में उक्त खाली सरकारी जमीन पर हाट को स्थानांतरित करते हुये उक्त मार्ग को कब तक अतिक्रमण मुक्त (नो वेंडिंग जोन) करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

***2612 श्री प्रमोद कुमार (19) (मोतिहारी):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत मोतिहारी नगर, छोटा बड़ीयारपुर में खाता सं०-638, खेसरा 1409, अमर छौतौनी थाना 221, खाता सं०-11, खोदा नगर थाना 155 तौजी 644 खाता सं०-140 खेसरा 132, 238, की लगभग 1 एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि मोतिहारी अंचल में स्थित है, जिसका अवैध रूप से भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा कर सरकारी पार्क के रूप में उपयोग हेतु बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

मार्केट काम्प्लेक्स में अतिरिक्त मंजिल बनवाना

***2613 श्री सतीश कुमार सिंह यादव (203) (रामगढ़):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला अंतर्गत रामगढ़ प्रखंड के रामगढ़ नगर पंचायत में अवस्थित एक मंजिला मार्केट काम्प्लेक्स में सीमित मात्रा में दुकान रहने के कारण स्थानीय लोगों को कठिनाई होती है, यदि हाँ तो, सरकार कबतक उक्त मार्केट काम्प्लेक्स का दूसरा मंजिल बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

स्मारक निर्माण

***2614 श्री अखतरूल ईमान (56) (अमौर):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि अब्दुल बारी स्मारक विकास न्याय दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना में स्मारक के निर्माण हेतु जमीन चिन्हित की गयी थी ;
2. क्या यह बात सही है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व० श्री बिन्देश्वरी दुबे जी द्वारा स्मारक के निर्माण हेतु शिलान्यास भी किया गया था जिसका निर्माण अबतक नहीं हो सका है, तो सरकार कब तक उक्त चिन्हित जमीन पर स्मारक निर्माण का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

बस पड़ाव बनाना

***2615 श्रीमती सोनम रानी (44) (त्रिवेणीगंज (अ० जा०)):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत त्रिवेणीगंज बाजार में स्थाई बस पड़ाव नहीं रहने के कारण हमेशा मेन रोड एवं बाजार में जाम की समस्या बनी रहती है जबकि उक्त बाजार के बगल में सरकारी भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त बाजार में उपलब्ध भूमि पर स्थायी बस पड़ाव बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय का जीर्णोद्धार ।

***2616 श्री सुरेंद्र प्रसाद (01) (वाल्मीकि नगर):**

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग क्या मंत्री, डेयरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

1. क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला के प्रखंड बगहा-2 के परिसर में पशु चिकित्सालय भवन जर्जर स्थिति में है तथा पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मी का पद रिक्त रहने के कारण पशुपालकों को अपने पशु का इलाज कराने में कठिनाई हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक, उक्त वर्णित प्रखंड के परिसर को जीर्णोद्धार करते हुए पशु चिकित्सा एवं अन्य कर्मी के रिक्त पद पर पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

खुले नाला की मरम्मत कराना

***2617 श्री संजय कुमार (183) (कुम्हारार):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्या यह बात सही है कि पटना जिला मुख्यालय स्थित योगीपुर सम्प हाउस से भूतनाथ रोड होते हुए नया बायपास, नन्दलाल छपरा तक जगह-जगह खुला नाला ध्वस्त होने के कारण आसपास के मोहल्लों में जल-जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त खुला नाला की मरम्मत करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

भवन का जीर्णोधार

***2618 श्री निरंजन कुमार मेहता (71) (बिहारीगंज):**

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के बिहारीगंज, विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिहारीगंज मुख्य बाजार में अवस्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति का भवन जर्जर रहने के कारण बाजार समिति मृतप्राय हो गई है, जिससे किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त भवन को जीर्णोधार कराते हुये उसके परिसर में बिहारीगंज मुख्य बाजार का सब्जी मार्केट, गुदरीहाट बाजार का संचालन कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जांचोपरांत जलापूर्ति चालू कराना ।

***2619 ASIF AHMAD (35) (Bisfi):**

Public Health & Engineering क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी एवं रहिका प्रखंड एक चौथाई बार्ड में स्थापित नल जल योजना विगत 6 माह से बंद है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक बिस्फी एवं रहिका प्रखंड के उक्त वंचित वार्डों में नल जल योजनाओं की जांचोपरांत त्रुटि दूर कर जलापूर्ति चालू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

मतदाता सूची बनाना

***2620 श्रीमती गायत्री देवी (25) (परिहार):**

सहकारिता विभाग :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार में जिस पैक्स समिति का कार्यकाल पांच वर्ष पूर्ण हो चुका हैं, वहाँ चुनाव कराने की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में सीतामढ़ी जिला के सुरसण्ड प्रखंड अन्तर्गत मलाही पैक्स का भी चुनाव कराया जाना है;

2. क्या यह बात सही है कि उक्त चुनाव हेतु मतदाता सूची बनाये जाने में पैक्स अध्यक्ष द्वारा व्यापक प्रचार- प्रसार या शिविर का आयोजन न कर मनचाहे व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल किया गया है,

यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ शिविर आयोजित कर भौतिक सत्यापन करते हुए मतदाता सूची बनाने हेतु तिथि

निर्धारित करने का विचार रखती हैं, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना

*2621 श्री सियाराम सिंह (179) (बाढ़):

कृषि विभाग क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में विकास और उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य के सभी प्रखण्डों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने का निर्णय वित्तीय वर्ष- 2025-26 में लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक पटना जिला के अथमलगोला प्रखण्ड में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने का विचार रखती है , नहीं, तो क्यों ?

अधिकारियों को वेतन लेवल-9 करना

*2622 श्री राहुल कुमार (216) (जहानाबाद):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार नगर सेवा के नगर कार्यपालक पदाधिकारी का वेतन लेवल-7 में रखा गया है जबकि उसी कार्यालय में इनके अधीनस्थ कार्यरत सहायक वास्तुविद पदाधिकारी को लेवल-9 में रखा गया है, जबकि कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय प्रधान होते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कब तक नगर सेवा के कार्यपालक अधिकारियों का वेतन लेवल-9 में करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

सुधा डेयरी नया आधुनिक प्लांट स्थापित करने के संबंध में ।

*2623 श्री शुभानंद मुकेश (155) (कहलगांव):

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग :-

क्या मंत्री, डेयरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव और आसपास का क्षेत्र (सन्हौला, गोराडीह, पीरपैती) दुग्ध उत्पादन के मामले में काफी समृद्ध है, परंतु यहाँ सरकारी स्तर पर कोई बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट नहीं रहने के कारण उक्त क्षेत्र के पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है,

यदि हाँ, तो सरकार स्थानीय किसानों और पशुपालकों के आर्थिक उत्थान हेतु कहलगाँव में डेयरी का एक नया आधुनिक प्लांट स्थापित कराने का विचार रखती है; नहीं तो क्यों?

भवन का निर्माण कराना

***2624 श्री जनक सिंह (116) (तरैया):**

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग :-

क्या मंत्री डेयरी, मत्स्य एवं पुश संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत पानापुर प्रखण्ड में पशु चिकित्सालय भवन के अभाव में पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं की चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड मुख्यालय के आस-पास पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कब तक कराना चाहती है, नहीं तो क्यों?

सरकारी बस स्टैंड का निर्माण कराना

***2625 श्री राकेश रंजन (198) (शाहपुर):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अंतर्गत शाहपुर प्रखण्ड के शाहपुर बाजार में सरकारी बस स्टैंड नहीं होने के कारण यात्रियों को असुविधा होती है तथा यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है; यदि हाँ, तो सरकार कब तक शाहपुर बाजार में सरकारी बस स्टैंड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

बस स्टैण्ड का निर्माण कराना

***2626 श्री हेम नारायण साह (112) (महाराजगंज, सिवान):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के महाराजगंज नगर पंचायत क्षेत्र में वेंडिंग जोन एवं बस स्टैण्ड नहीं रहने के कारण स्थानीय दुकानदारों, फुटपाथ विक्रेताओं एवं आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हां, तो सरकार उक्त नगर पंचायत में कब तक वेंडिंग जोन एवं बस स्टैण्ड का निर्माण कराने का विचार रखती हैं, नहीं तो क्यों ?

वासगीत पर्चाधारियों को जमीन पर दखल दिलाना ।

*2627 श्री रामविलास कामत (42) (पिपरा):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 में भूमिहीनों को 05 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है;

2. क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला अंतर्गत पिपरा विधान सभा क्षेत्राधीन भूमिहीन परिवारों को वासगीत पर्चा अचंलाधिकारी किशनपुर एवं पिपरा द्वारा निर्गत किया गया है, परंतु अभी तक किसी भी वासगीत पर्चाधारियों को जमीन दखल नहीं करवाया गया है जिसके कारण भूमिहीन परिवार को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है;

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक पिपरा विधान सभा क्षेत्राधीन वासगीत पर्चाधारियों को जमीन पर दखल दिलाने तथा छोटे हुये महादलित परिवारों को पर्चा दिलवाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

मरीन ड्राइव का निर्माण

*2628 श्री कृष्णनंदन पासवान (13) (हरसिद्धि):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मोतिहारी नगर निगम के वार्ड नंबर 28 में बलुआ पुल से भाया मजुरहा होते हुए बरियारपुर पुल NH 28 तक धनौती नदी के किनारे सड़क नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्र की जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त धनौती नदी के किनारे मरीन ड्राइव बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

जांच करवाना

*2629 श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी (64) (कदवा):

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य खाद्य निगम में कार्यरत 4जी आईडेंटिटी सॉल्युशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पिछले 10 वर्षों से अपने कर्मियों का मात्र 35 प्रतिशत ही वेतन का भुगतान कर सरकार से पूरी राशि का उठाव कर लिया गया है, साथ ही वर्ष 2014 से 2020 तक कर्मियों से भविष्य निधि की राशि की कटौती करने के बावजूद भी जमा नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार 4जी आईडेंटिटी सॉल्युशन प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकलाप

की जाँच कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

दोषी पर कार्रवाई करना

*2630 श्री उपेन्द्र प्रसाद (225) (गुरुआ):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के प्रखण्ड-अकबरपुर के अचंलाधिकारी द्वारा थाना नं0-389 मौजा- बड़ैल, खेसरा नं0-391, 392 में एराजी -40 डीसमिल जमीन का टाईटिल सूट नं0-185/19, सी0जी0एम0 कोर्ट, नवादा में सुनवाई हेतु लंबित रहने के उपरान्त भी अंचल कार्यालय अकबरपुर के पत्रांक -101 दिनांक-28.01.2026 द्वारा 1935 से विधिवत् रूप से काबिज जमीन मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार करने एवं जमीन का चहारदिवारी करने का आदेश संबंधित थाना प्रभारी को दिया गया है;

यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित भूमि का न्यायालय के न्यायादेश आने तक जमीन का सीमांकन एवं चहारदिवारी निर्माण पर रोक लगाते हुए दोषी पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

अनापत्ति प्रमाण पत्र

*2631 Dr. PRAKASH CHANDRA (220) (Obra):

Urban Development & Housing क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के दाउदनगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पत्रांक -650, दिनांक-02.08.2024 के माध्यम से सिंचाई विभाग निरीक्षण भवन के सामने अवस्थित घाट में कृत्रिम पोखर बनाकर शहर का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के सन्दर्भ में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग प्रमंडल दाउदनगर से अनुरोध किया गया था जो अबतक लंबित है यदि हाँ, तो सरकार कबतक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

कार्रवाई करना

*2632 श्री सुरेन्द्र राम (119) (गरखा (अ० जा०)):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा प्रखंड के सलीमापुर पंचायत के ग्राम सलीमापुर में गैरमजरूआ जमीन है, जिसका थाना नं0- 54, खाता नं0- 116, सर्वे

नं०- 461 को दिनांक 12.06.2025 को असमाजिक तत्वों द्वारा गलत जमाबंदी दिखाकर दूसरे व्यक्ति से उक्त भूमि को बेच दिया गया है, जिसका डीड नं०- 2142/2025 है, यदि हां तो सरकार कबतक उक्त डीड को रद्द कराते हुये असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कर महादलित परिवारों के बीच उक्त भूमि को वितरण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

सरकारी भूमि में पार्क निर्माण कराना

***2633 श्री मनोहर प्रसाद सिंह (67) (मनिहारी (अ० ज० जा०)):**

नगर विकास एवं आवास विभाग क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मनिहारी एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्त्व का शहर है, लेकिन यहाँ बच्चों और वृद्धजनों के लिए कोई पार्क नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार मनिहारी वार्ड संख्या-05, मनिहारी-कटिहार मुख्य मार्ग के बगल में खाता संख्या-1196, खेसरा संख्या-883 सरकारी भूमि में पार्क निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

शमशान घाट का निर्माण

***2634 प्रो० नागेन्द्र राउत (26) (सुरसंड):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत नगर परिषद जनकपुर रोड में एक भी बुनियादी सुविधाओं से युक्त शमशान घाट नहीं है, जिसके कारण अंतिम संस्कार के समय आम नागरिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार नगर परिषद जनकपुर रोड में कबतक बुनियादी सुविधाओं से युक्त शमशान घाट का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

बस स्टैंड निर्माण करना

***2635 श्री साम्रीद वर्मा (09) (सिकटा):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला के सिकटा प्रखंड मुख्यालय में बस स्टैंड नहीं होने से बसों का ठहराव यत्र-तत्र होता है, जिससे बाजार क्षेत्र में जाम की स्थिति

होने से आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;
यदि हाँ, तो सरकार कब तक सिकटा प्रखंड मुख्यालय में यात्रियों और आम लोगों की सुविधा के लिये बस स्टैंड बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

प्लाट हस्तांतरित करना

***2636 श्रीमती मनोरमा देवी (232) (बेलागंज):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अंतर्गत बेलागंज अंचल के बेलागंज बाजार में खाता संख्या 389 का कुल 1360 प्लॉट 1970 से पूर्व रैयती थी जिसे 1971 में सर्वे के बाद सरकारी कर दिया गया है;

2. क्या यह बात सही है कि उक्त सभी प्लॉट पर स्थानीय लोगों के पूर्वजों का सैकड़ों वर्षों से दखल- कब्जा रहने के बावजूद भूमि पर निर्माण कार्य करने या खरीद -बिक्री पर बिहार सरकार द्वारा 1980 के बाद रोक लगा दी गई है, जिससे हजारों की आबादी प्रभावित हैं; यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, सरकार कब तक जनहित में बेलागंज बाजार के उक्त खाता संख्या के सभी प्लाट को पुनः 1970 से पूर्व के भू-कब्जा धारी रैयत को हस्तांतरित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

सड़कों का निर्माण

***2637 श्री कुंदन कुमार (146) (बेगूसराय):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं0-28 में श्री नरेश सिंह जी के घर से श्री भूपनरायण दास जी के घर होते हुए श्री रजनीश सिंह जी के घर तक (लगभग 800 मीटर) एवं श्री अजय सिंह जी के घर से श्री रंजीत चौधरी जी के घर तक (लगभग 500 मीटर), की सड़क जर्जर अवस्था में रहने के कारण उक्त दोनों सड़कों पर बरसात में भारी जल-जमाव और कीचड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे स्थानीय नागरिकों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में उक्त दोनों सड़कों का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

नल जल योजना संचालन

*2638 श्रीमती मीना कुमारी (34) (बाबूबरही):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र-34 के खजौली प्रखण्ड के पंचायत चतरा गोविन्दपुर उत्तरी वार्ड नं0-8,9,12,13 एवं दक्षिण के वार्ड नं0-6,3,7,2 में नल-जल योजनाएँ पूर्ण रूप से निर्मित होने के बावजूद चालू नहीं है;
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सभी पंचायतों में कोई अनुरक्षक/संचालक नियुक्त नहीं है, जिस कारण योजना बंद पड़ी है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक उक्त सभी पंचायतों में नल जल योजना को सुचारू रूप में संचालन करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

स्टैंड का निर्माण

*2639 श्रीमती शालिनी मिश्रा (15) (केसरिया):

नगर विकास एवं आवास विभाग क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत केसरिया प्रखंड के हुसैनी में बस एवं ऑटो स्टैंड हेतु जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद बस एवं ऑटो स्टैंड का निर्माण नहीं किये जाने से वहाँ जाम की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक हुसैनी में बस एवं ऑटो स्टैंड बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

खाद उपलब्ध कराना

*2640 Md. SARWAR ALAM (55) (Kochadhaman):

Agriculture क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि वर्तमान रबी/खरीफ सीजन में राज्य के विभिन्न जिलों में किसानों को खाद विशेषकर यूरिया की भारी किल्लत के कारण पैक्स और निजी दुकानों पर निर्धारित सरकारी दर से अधिक मूल्य पर खाद बेची जा रही है;

यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खाद की कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए किसानों को सुलभ तरीके से खाद उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सड़क एवं नाला निर्माण कराना

***2641 श्री माधव आनंद (36) (मधुबनी):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलामुख्यालय नगर निगम के वार्ड संख्या—26 में गोपी चौक से डॉ. शंकर चौक तक तथा काली मंदिर मोहल्ला में मुन्ना महतो के घर तक सड़क एवं नाला नहीं होने से जलजमाव एवं गंदगी से आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है , यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क एवं नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के कमीशन राशि का भुगतान ।

***2642 श्री रणविजय साहू (135) (मोरवा):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मोरवा, ताजपुर एवं शाहपुर पटोरी प्रखण्डों के सभी जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं का 6 माह से कमीशन राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके कारण उनके समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है;

यदि हाँ, तो सरकार कब तक उपरोक्त क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के कमीशन राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

नाली को ऊँचा करना

***2643 श्रीमती सावित्री देवी (243) (चकाई):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारी शरीफ नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नं0-25 में शप्ता बुढ़िया गली, मुहल्ला इशापुर में अवस्थित नाला जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहने के कारण गली में निरंतर गन्दा पानी जमा रहता है, साथ ही, आवासीय भवनों की अपेक्षा नाला काफी नीचा होने के कारण वाहनों का प्रवेश एवं आवागमन भी सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त नाली को ऊँचा कराते हुए नव निर्माण/ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

लगान निर्धारण कराना

***2644 श्री नचिकेता (166) (जमालपुर):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1- क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी नगर क्षेत्रों में लगान निर्धारण किये जाने का कार्य बंद है ;

2- क्या यह बात सही है कि वर्तमान में केवल राज्य सरकार या प्रमण्डलीय आयुक्त ही कुछ विशेष परिस्थिति में गैर-मजरूआ आम भूमि की बंदोबस्ती कर सकते हैं,

3- यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लगान निर्धारण का कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों पर पदस्थापन

***2645 श्री भाई बिरेंद्र (187) (मनेर):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि पटना जिला में नगर विकास प्रमंडल पटना पश्चिम कार्यपालक अभियंता का पद दिनांक-16.01.2026 से एवं नगर विकास प्रमंडल पटना के अधीक्षण अभियंता दिनांक-01.11.2025 को सेवा निवृत्त के पश्चात यह पद रिक्त रहने से विकास कार्य पूरी तरह बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित पदों पर पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

ठोस कदम उठाने के संबंध

***2646 श्री मुरारी मोहन झा (86) (केवटी):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में एफआरके (फोर्टी फाइड राइस कर्नेल) की किल्लत के कारण धान खरीद ठप है ;

2. क्या यह बात सही है कि खाद्य निगम के मुताबिक प्रदेश में 25 हजार मीट्रिक टन एफआरके की जरूरत हैं सिर्फ 22 हजार मीट्रिक टन एफआरके रहने के कारण चावल मिलों ने पेक्सों से धान लेने से मना कर दिया हैं ;

3.क्या यह बात सही है कि गोदामों में धान भरा रहने एवं एफआरके नहीं मिलने से राज्य खाद्य निगम में सीएमआर की आपूर्ति नहीं हो पा रही हैं ;

4.यदि उपर्युक्त खंडो के उतर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक राज्य में एफआरके की कमी को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?

शहरी विकास पैकेज प्रदान करना

***2647 श्री विमल राजवंशी (235) (रजौली (अ० जा०)):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्या यह बात सही है कि नवादा जिला अंतर्गत रजौली विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में आधारभूत शहरी सुविधाओं जैसे पक्की सड़क, सुदृढ़ नाला-जलनिकासी, नियमित पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट एवं ठोस कचरा प्रबंधन की स्थिति अपेक्षित स्तर से काफी पीछे है, जिसके कारण आम नागरिकों को निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विधान सभा के नगर पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में विशेष शहरी विकास पैकेज प्रदान कर सड़क-नाला निर्माण, आवास योजना एवं जलनिकासी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

योजना का लाभ दिलाने

***2648 श्री सुभाष सिंह (101) (गोपालगंज):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलामुख्यालय नगर परिषद् क्षेत्र में 600 से अधिक भूमिहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत सरकारी जमीन उपलब्ध कराकर या जमीन नही रहने की स्थिति में जमीन क्रय कर आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भूमिहीन परिवारों को उक्त योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है ,नहीं तो क्यों ?

ऑडिटोरियम बनाना

***2649 श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (109) (दारौंदा):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत मेंहदार मंदिर विश्वप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहाँ सरकार द्वारा हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की जाती है;
2. क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर एक भी ऑडिटोरियम नहीं होने से सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन में कठिनाई होती है;
3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मेंहदार में भव्य ऑडिटोरियम बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक ,नहीं तो क्यों ?

कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के संबंध में ।

***2650 श्री जितेंद्र कुमार (171) (अस्थावाँ):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है, कि नालान्दा जिलान्तर्गत अस्थावाँ विधानसभा के सरमेरा प्रखण्ड के राज्य खाद्य निगम कार्यालय में कार्यरत सहायक गोदाम प्रबंधक सहित अन्य कर्मियों के अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने के कारण जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कार्यालय में सहायक गोदाम प्रबंधक सहित अन्य कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

सड़क एवं नाला का निर्माण

***2651 श्रीमती छोटी कुमारी (118) (छपरा):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत छपरा विधानसभा क्षेत्र के प्रभुनाथ नगर स्थित 'सोसाइटी कॉलोनी' में विजय शर्मा वकील के मकान से लेकर शम्भू सिंह के मकान तक की सड़क एवं नाला पिछले 5 वर्षों से जर्जर अवस्था में रहने के कारण जलजमाव से लगभग 75 परिवारों का आवागमन बाधित रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त सड़क सह नाला का नव निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जल आपूर्ति सुनिश्चित कराना ।

***2652 श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (20) (चिरैया):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही प्रखंड के बोकाने कला पंचायत के वार्ड संख्या- 03,07,10,12,14,16, एवं 18 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल-जल योजना खराब हो गया है, जिसके कारण अब तक उक्त वार्डों में सुचारु रूप से जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त पंचायत के संबंधित वार्डों में जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण मुक्त करना

***2653 श्री राम चन्द्र प्रसाद (84) (हायाघाट):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड बहेड़ी के पंचायत जोरजा के झझरी चौक पर करीब 2.5 एकड़ सरकारी भूमि है जिसे भू-माफिया द्वारा अतिक्रमण कर ग्रामीण हाट एवं मत्स्य पालन कर अवैध उगाही किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त जमीन से हो रहे वसूली को सरकारी खाते में संधारित करते हुये उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

सड़क के साथ नाला निर्माण

***2654 श्री श्याम रजक (188) (फुलवारी (अ० जा०)):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- (1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत पटना नगर निगम के वार्ड न०- 30 के रामकृष्णा नगर स्थित आदर्श बिहार कॉलोनी के रोड न०-01 में 250 फीट लंबा सड़क एवं नाला है, जो श्याम बाबू के घर से इंजीनियर देवेन्द्र सिंह के घर तक जाती है, जिसकी स्थिति जर्जर है जबकि यहां घनी आबादी आवासित है जहाँ सड़क एवं नाला का निर्माण नही होने से बरसात के दिनों में जल-जमाव हो जाता है, जिससे आवागमन प्रभावित होता है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक उक्त स्थान पर सड़क के साथ नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

वासगीत पर्चा देना

*2655 श्री कुमार शैलेन्द्र (152) (बिहपुर):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

1. क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत षाहपुर चौहदी के सैकड़ों परिवार गंगा कटाव के चलते 60-65 वर्ष से रेलवे की जमीन पर रह रहे हैं, जिसे अब रेलवे द्वारा हटाया जा रहा है;
2. यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त विस्थापित परिवार को वासगीत पर्चा देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

फसल क्षति का मुआवजा दिलाना

*2656 श्री मिथुन कुमार (158) (नाथनगर):

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नाथनगर विधान सभा क्षेत्र में सबौर प्रखण्ड के ग्राम लैलख, प्रशस्तडीह, महेशपुर, परघडी एवं गनौरा मोहनपुर में हर वर्ष गंगा नदी की बाढ़ के पानी का जलजमाव कई महीनो तक रहता है जिससे ग्रामीणों को आवागन बाधित हो जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्रामों में जलजमाव के कारण फसल का उत्पादन भी नहीं हो पाता है जिससे किसान उपज के अभाव में भूखमरी के कगार पर है तथा सरकार द्वारा उन्हें किसी प्रकार की मुआवजा नहीं दी जा रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त प्रखण्ड के ग्रामों में हो रहे जलजमाव की रोकथाम कराते हुए फसल क्षति का मुआवजा किसानों को ससमय दिलवाने का विचार रखती हैं, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मूलभूत सुविधा सुनिश्चित करना

*2657 श्री चन्द्रशेखर (73) (मधेपुरा):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के गम्हरिया, घैलाढ़, एवं मठाही में हाट बाजार लगता है जिसका राजस्व गम्हरिया, घैलाढ़, एवं मधेपुरा अंचल द्वारा लिया जाता है;
2. क्या यह बात सही है कि उक्त हाटों में शेड एवं सभी मूलभूत सुविधा नहीं रहने से आम आदमी, व्यापारी एवं किसानों को काफी कठिनाई होती है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त हाट बाजार को आधुनिक हाट बनाने के लिए शेड एवं सभी मूलभूत सुविधा सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

विस्कोमान खाद बिक्री केन्द्र खोलना

*2658 श्री महेश पासवान (195) (अगिआंव (अ० जा०)):

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अगिआंव प्रखंड में खाद बिक्री केंद्र के अभाव में किसानों को कालाबाजारी एवं अधिक मूल्य पर खाद क्रय करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक अगिआंव प्रखंड में विस्कोमान खाद बिक्री केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

*2659 श्रीमती देवती यादव (46) (नरपतगंज):

कृषि विभाग क्या मंत्री कृषि विभाग यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड नरपतगंज में आलू की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, परन्तु वहां आलू के भंडारण हेतु एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं रहने के कारण किसानों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार नरपतगंज में आलू के भंडारण हेतु कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

वेतन विसंगति दूर करना

*2660 श्री रोहित पाण्डेय (156) (भागलपुर):

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

क्या यह बात सही है कि आत्मा कार्यालयों में वर्ष 2014 में नियुक्त लेखापालों के वेतन में हुई विसंगति का समाधान किए जाने हेतु विभागीय पत्राक 764 वि० दिनांक- 03.12.2024 में उल्लेख किया गया था जो अबतक लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वेतन विसंगति दूर करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

पोखर का सौन्दर्यीकरण कराना

*2661 श्रीमती अश्वमेध देवी (133) (समस्तीपुर):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत ताजपुर प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र के नगर परिषद वार्ड संख्या-15 में स्थित काली पोखर तालाब का सौन्दर्यीकरण आंशिक रूप से कराया गया है, जबकि छठ महापर्व के अवसर पर वार्ड संख्या-15 सहित आस-पास के क्षेत्रों के श्रद्धालु उक्त तालाब में छठ पूजा एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जिन्हें तालाब सौन्दर्यीकरण के आभाव में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त तालाब का पूर्ण रूप से सौन्दर्यीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

शवदाह गृह का निर्माण

*2662 श्री विनय कुमार सिंह (122) (सोनपुर):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर, विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1.क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत दिघवारा प्रखंड के दिघवारा नगर पंचायत में विद्युत शवदाह गृह नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में बाढ़ की वजह से लोगों को अपने परिजनों को दाह-संस्कार करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है; यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त नगर पंचायत में विद्युत शवदाह गृह बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क निर्माण

*2663 श्री कृष्ण कुमार ऋषि (59) (बनमनखी (अ० जा०)):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1 क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिला अंतर्गत नगर परिषद ,बनमनखी में शक्तिपीठ दुर्गा स्थान से नरसिंह अवतार स्थान मंदिर तक कच्ची सड़क रहने के कारण दुर्गा स्थान

रोड से नहर होते हुए हरिमुढी पथतक बरसात के दिनों में आवागमन बाधित रहता है, जिससे धर्मावलंबियों एवं आमजन को शक्तिपीठ दुर्गा स्थान एवं नरसिंह अवतार स्थान मंदिर आने-जाने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक जनहित में दुर्गा स्थान मंदिर के आगे नहर होते हुए हरिमुढी पथ तक सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

जलापूर्ति सुनिश्चित करना

*2664 श्री प्रमोद कुमार सिंह (224) (रफीगंज):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखंड के पिरथु, चेंई नवादा व उत्तरी उमंगा पंचायत जो पहाड़ी क्षेत्र है, में नल-जल का कार्य अधूरा है एवं जो कार्य हुआ भी है, उसकी गुणवत्ता निम्न स्तर की है, जिससे नियमित जलापूर्ति नहीं हो पाती है यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुए नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वरीयता अनुरूप पदस्थापना करना

*2665 श्री जितेन्द्र कुमार राय (117) (मढ़ौरा):

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग :-

क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई एमवीयू एवं ए हेल्प परियोजना, दोनों के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी का प्रभार एक कनीय अधिकारी को दिया गया है, जबकि विभाग में कई वरीय पदाधिकारी पदस्थापित हैं; यदि हाँ, तो सरकार विभाग में वरीयता सूची को उल्लंघन कर कनीय अधिकारी को दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी बनाए जाने के आदेश को कब तक रद्द करते हुए वरीयता सूची के अनुरूप राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी बनाए जाने को सुनिश्चित करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*2666 श्री रितुराज कुमार (217) (घोसी):

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अंतर्गत काको प्रखंड के शवदाह गृह तक पहुंच पथ की कमी है जिससे घाट तक आवागमन में परेशानी उत्पन्न होती है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त स्थल पर सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नगर पंचायत बनाना

***2667 श्री रामेश्वर कुमार महतो (27) (बाजपट्टी):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि 12000 की आबादी वाले राजस्व ग्राम को नगर पंचायत बनाने हेतु राज्य सरकार ने मानक निर्धारित किया है;

2. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के प्रखंड मुख्यालय एवं राजस्व ग्राम नानपुर की आबादी 12000 से अधिक है, जो नगर पंचायत बनने की सभी मानक को पूरा करता है, जिसे अभी तक नगर पंचायत नहीं बनाया गया है;

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक जनहित में सीतामढ़ी जिला के प्रखंड मुख्यालय एवं राजस्व ग्राम नानपुर को नगर पंचायत बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

नल जल योजना प्रारंभ कराना

***2668 श्री रोमित कुमार (233) (अतरी):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है की गया जिला के अतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड मोहड़ा की जेठियन पंचायत के ग्राम जेथियन, वार्ड संख्या-10 में अब तक नल-जल योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्ड में नल-जल योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने हेतु कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण मुक्त कराना

***2669 मो० तौसीफ आलम (52) (बहादुरगंज):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखण्ड के रसल उच्च विद्यालय, बहादुरगंज के 1.4 एकड़ भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ तो सरकार उक्त विद्यालय के अतिक्रमित भूमि को कबतक भूमाफिया से अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पारदर्शी व्यवस्था बनाना

*2670 श्रीमती संगीता देवी (65) (बलरामपुर):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

1. क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की कई पंचायतों में पाइपलाइन बिछने के बाद भी जल आपूर्ति बाधित है तथा कई स्थानों पर अभी तक नल नहीं लगाए जा सके हैं;

2. क्या यह बात सही है कि उक्त विधान सभा के क्षेत्र बांसगांव पंचायत के मालापाड़ा गांव सहित अनेक क्षेत्रों में ग्रामीण स्वच्छ पेयजल के लाभ से वंचित हैं तथा स्थानीय विभागीय कार्यालयों में पदाधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीणों की शिकायतों का ससमय पंजीकरण एवं निवारण नहीं हो पा रहा है?

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक उक्त तकनीकी त्रुटियों को दूर कर, दोषी संवेदकों/पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए शिकायत निवारण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

“जलकल्प ” तकनीक सब्सिडी पर उपलब्ध करना

*2671 श्री आनन्द मिश्र (200) (बक्सर):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

[क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के आर्सेनिक प्रभावित गांवों में “जलकल्प” बायो-सैंड फिल्टर का सफल परीक्षण किया जा चुका है, जो जंग लगी लोहे की कीलों की उपयोग करके आर्सेनिक के 1750 पी०पी०बी० जैसे घातक स्तर को घटाकर सुरक्षित 10 पी०पी०बी० के नीचे ले आता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक आर०ओ० सिस्टम के स्थान पर कम रखरखाव वाली “जलकल्प” तकनीक सामान्य जनमानस को सब्सिडी पर उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

किसानों को मुआवज़ा देने के सम्बन्ध में।

***2672 श्री विनय कुमार चौधरी (80) (बेनीपुर):**

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

1. क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा वर्ष - 2025 में गेहूँ का बीज एच०डी० 2967 का वितरण किया गया था जो बीज अंकुरित नहीं हुआ ;
2. क्या यह बात सही है कि किसानों की शिकायत पर विभाग द्वारा जाँच के क्रम में किसानों का आरोप सही पाया गया परन्तु अबतक फसल क्षति का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कबतक किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है , नहीं तो क्यों ?

सब्जी मंडी का निर्माण

***2673 श्री नंद किशोर राम (02) (रामनगर (अ० जा०)):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत रामनगर नगर परिषद में सब्जी मंडी नहीं है;
2. क्या यह बात सही है कि सब्जी मंडी शहर के मध्य में रामरेखा नदी के पुल पर लगता है, जिससे भारी वाहनों एवं हरिनगर चीनी मिल में जाने के लिए गन्ना किसानों के गन्ना से लदे ट्रैक्टरों को आने जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;
- 3 यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या रामनगर नगर परिषद में सब्जी मंडी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

राशन डीलर की उपलब्धता सुनिश्चित करना

***2674 श्री सिद्धार्थ सौरव (191) (बिक्रम):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता, संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बिक्रम विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रखण्ड — नौबतपुर, पंचायत — निसर्पुरा, ग्राम — निसर्पुरा के वार्ड न० — 9 में जन वितरण प्रणाली की दुकान संचालित नहीं होने से ग्रामीणों को राशन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित ग्राम के वार्ड में राशन डीलर की उपलब्धता

सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई

***2675 श्री मुरारी प्रसाद गौतम (207) (चेनारी (अ० जा०)):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत नगर पंचायत चेनारी में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभुकों को आवास का लाभ न देकर लगभग 200 सम्पन्न व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है, साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा लेखपाल के हस्ताक्षर के बिना वर्ष 2024 की तृतीय तिमाही में लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपये की निकासी कर वित्तीय अनियमितता की गई है; यदि हाँ, तो सरकार कब तक नगर पंचायत चेनारी में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना एवं राशि की निकासी की जाँच कराते हुए दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

बेतिया राज की भूमि को पारदर्शी बनाना

***2676 मो० फैसल रहमान (21) (ढाका):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के ढाका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ढाका एवं घोड़ासाहन प्रखंड में बेतिया राज से संबंधित भूमि का स्वामित्व, रकबा एवं वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं रहने के कारण उक्त क्षेत्र की जनता को दाखिल-खारिज, लगान भुगतान एवं भूमि क्रय-विक्रय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भूमि को पारदर्शी बनाने का विचार रखती है ,नहीं तो क्यों?

बस स्टैंड का निर्माण कराना

***2677 श्री रूहेल रंजन (174) (इस्लामपुर):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

1. क्या यह बात सही है की नालंदा जिलान्तर्गत नगर पंचायत एकंगरसराय में बस स्टैंड नहीं होने के कारण आम नागरिकों, यात्रियों, महिलाओं एवं छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

2. क्या यह बात सही है कि उक्त नगर पंचायत क्षेत्र में बस स्टैंड के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण यह योजना लंबे समय से लंबित है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक उक्त नगर पंचायत के भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये बस स्टैंड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

सड़क का चौड़ीकरण कराना

***2678 श्री राज कुमार राय (140) (हसनपुर):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि पटना जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र के सिपारा पूल पिलर न०-13 से भूत बंगला जाने वाली सड़क कम चौड़ी होने के कारण बड़े वाहन का आवागमन नहीं हो पाता है जिससे उक्त सड़क के दोनों तरफ आवासित लाखों की जनसंख्या को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त सड़क का चौड़ीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसकी घेराबंदी करना ।

***2679 श्री विनय बिहारी (05) (लौरिया):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया अंचल प्रखण्ड के पंचायत राज साठी में परसौनी गांव का कब्रिस्तान बदहाल स्थिति में है;
2. क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है तथा उक्त जमीन पर आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन का भी निर्माण कर दिया गया है; यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसकी घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?
